



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 22 नवम्बर 2025 ई० (अग्रहायण 01, 1947 शक संवत्) [संख्या 47

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	591—604	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1273—1290	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1795-1891	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	481—486	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (गोपन) विभाग

अनुभाग-3

अधिसूचना

12 अगस्त, 2024 ई0

सं0 I/715015/2024-सी0एक्स0-3—चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग मुम्बई-मनमाड-विजवासन पाइपलाइन महाराष्ट्र से मथुरा स्थित बी0पी0सी0एल0 प्लांट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लांट प्राप्ति स्टेशन तक पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों, डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध संस्थान का नाम और विनिर्देश

बी0पी0सी0एल0 पाइपलाइन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रोड नं0 26, प्लॉट नं0 एफ-12, एफ-13, एच-27, एच-28, एच-29, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, साइड बी, आई0ओ0सी0एल0 रिफाइनरी के पास मथुरा, उत्तर प्रदेश पिन कोड-281005

पूर्व में-	बी0पी0सी0एल टैंक लॉरी पार्किंग
पश्चिम में-	औद्योगिक प्लॉट यू0पी0एस0आई0डी0सी0
उत्तर में-	24 मीटर रोड, बी0पी0सी0एल प्लान्ट
दक्षिण में-	सारासर बालाजी ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/716170/2024-CX-3**, dated August 12, 2024 for general Information.

Notification

August 12, 2024

No. I/716170/2024-CX-3—WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying petroleum products, diesel/petrol from Mumbai-Manmad Bijwasan pipeline, Maharashtra to B.P.C.L. Plant in Mathura Receiving Station through pipeline;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "**prohibited place**" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE**Name and specifications of the prohibited place.**

B.P.C.L. Pipelines, Bharat Petroleum Corporation Limited, Road No. 26 Plot No.F-12, F-13, H-27,H-28, H-29, UPSIDC Industrial Area, Side B, Near IOCL, Refinery, Mathura, Uttar Pradesh. PIN Code 281005

In <i>East</i> -	B.P.C.L. Tank Lorry Parking
In <i>West</i> -	Industrial Plot UPSIDC
In <i>North</i> -	24 Meter Road, B.P.C.L. Plant
In <i>South</i> -	Sarasar Balaji Overseas Private Limited

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

22 अक्टूबर, 2024 ई०

सं० I/776727/2024-सी०एक्स०-3-चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा पाईपलाइन परियोजना जे०एच०बी०डी०पी०एल० के अधीन वाराणसी से गोरखपुर तक बिछायी गयी पाइपलाइन के माध्यम से घरेलू उपयोग, उर्वरक संयन्त्रों और अन्य कम्पनियों को गैस की पूर्ति के लिये किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस०ओ०-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध संस्थान का नाम और विनिर्देश

गेल इण्डिया लिमिटेड इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन 1जी(आई पी-1जी) के खसरा संख्या 295K & 295, खाता संख्या 00160 (गाटा यूनिट संख्या 194155-0295-2-001-12 & 194155-0295-2-002-12) पर हलदिया पाईपलाइन सप्लाई गैस, सी०एन०जी० स्टेशन फर्टिलाइजर प्लान्ट और हाउसहोल्ड के अन्तर्गत जे०एच०बी०डी०पी०एल० प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट (जे०एच०बी०डी०पी०एल०) इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन-1जी (आई०पी०-1जी०) ग्राम-भितरी, परगना व तहसील-निजामाबाद, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

पूर्व में-	खाली भूमि खेत शेष रकबा
पश्चिम में-	पक्की सड़क
उत्तर में-	आराजी सं०-204, 207
दक्षिण में-	पक्की सड़क

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/776724/2024-CX-3**, dated October 22, 2024 for general information.

Notification

October 22, 2024

No. I/776724/2024-CX-3-WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for Supplying of Gas to households, fertilizer Plants and other companies through the Pipeline laid from Varanasi to Gorakhpur under Pradhan Mantri Urja Ganga Pipeline Project (JHBDPL);

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "**prohibited place**" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE**Name and specifications of the prohibited place.**

JHBDPL Pradhan Mantri Urja Ganga Pipeline Project(JHBDPL) Intermediate Pigging Station-1G (IP-1G) Under Haldia Pipeline Supply Gas, CNG Station Fertilizer Plant and Household at Khasra No.295 K& 295, Account No. 00160 (Gata Unique No.194155-0295-2-001-12&194155-0295-2-002-12) of Gail-India Limited Intermediate Pigging Station-1G (IP-1G) Village-Bhitari, Pargana and Tehsil-Nizamabad, District- Azamgarh, Uttar Pradesh.

In <i>East</i> -	Vacant Land Fram Remaing Acreaga.
In <i>West</i> -	Paved Road.
In <i>North</i> -	Arazi no. 204, 207
In <i>South</i> -	Paved Road.

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

सं० I/776729/2024-सी०एक्स०-3—चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन वाराणसी से गोरखपुर तक बिछायी गयी पाइपलाइन के माध्यम से गैस की पूर्ति के लिये किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस०ओ०-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध संस्थान का नाम और विनिर्देश

गेल इण्डिया लिमिटेड के गाटा संख्या-349 मि० रकबा 0.2025 हे० में स्थित स्टेशन एस०वी०-5जी ग्राम-तरौना बासगांव, परगना-बिडहर, तहसील-आलापुर, जिला-अम्बेडकरनगर, उत्तर प्रदेश

पूर्व में-	खसरा संख्या-348-सड़क।
पश्चिम में-	खसरा संख्या-349 मि०- खतौनी भूमि राजेश कुमार।
उत्तर में-	खसरा संख्या-349 मि०- खतौनी भूमि राजेश कुमार।
दक्षिण में-	खसरा संख्या-349 मि०- खतौनी भूमि राजेश कुमार।

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/776732/2024-CX-3**, dated October 22, 2024 for general Information.

Notification

October 22, 2024

No. I/776732/2024-CX-3-WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for Supply of Gas Through Pipeline from Varanasi to Gorakhpur Under Pradhan Mantri Urja Ganga Pariyojana;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "**prohibited place**" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place.	
Gail-India Limited Gata Number-349 Mi Area 0.2025 Hectare Situated in Station (SV-5G) Village-Tarauna Basgaon, Pargana-Bidahar, Tehsil-Alapur, District-Ambedkar nagar, Uttar Pradesh.	
In East-	Khasra No. 348 Road.
In West-	Khasra No. 349 Mi. Rajesh Kumar.
In North-	Khasra No. 349 Mi. Rajesh Kumar.
In South-	Khasra No. 349 Mi. Rajesh Kumar.

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

29 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 I/809523/2024-सी0एक्स0-3-चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन फूलपुर से हल्दिया तक बिछायी गयी पाइपलाइन के माध्यम से गैस की पूर्ति के लिये किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस0ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

गेल (इण्डिया) लिमिटेड स्टेशन एस0वी0-3, ग्राम-रसवदिया, परगना व तहसील-मड़ियाहूँ, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश

पूर्व में-	भूखण्ड सं0 31 का शेष भाग
पश्चिम में-	भूखण्ड सं0 36
उत्तर में-	पक्की सड़क
दक्षिण में-	भूखण्ड सं0 31 का शेष भाग एवं भूखण्ड सं0 38

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/809521/2024-CX-3**, dated November 29, 2024 for general Information.

Notification

November 29, 2024

No. I/809521/2024-CX-3—WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supply of Gas through the pipeline laid from Phulpur to Haldia Under the Pradhan Mantri Urja Ganga Project;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated May 04, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "**prohibited place**" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE**Name and specifications of the prohibited place.**

Gail India Limited Station SV-3 Village-Rasbadiya, Pargana and Tehsil-Madiyahu, District-Jaunpur, Uttar Pradesh.

In <i>East</i> -	Remaining Area of Plot no. 31
In <i>West</i> -	Plot no. 36
In <i>North</i> -	Pitch Road
In <i>South</i> -	Remaining Area of Plot no. 31 and Plot no. 38

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

02 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० I/811052/2024-सी०एक्स०-3-चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अधीन फूलपुर से हल्दिया तक बिछायी गयी पाइपलाइन के माध्यम से गैस की पूर्ति के लिये किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस०ओ०-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक **"प्रतिषिद्ध स्थान"** घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

गेल (इण्डिया) लिमिटेड स्टेशन एस०वी०-4, ग्राम-उत्तरपट्टी (मड़ियाहूँ), परगना व तहसील-मड़ियाहूँ, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश

पूर्व में- खेत आद्या प्रसाद

पश्चिम में- सड़क

उत्तर में- नाला

दक्षिण में- खेत आद्या प्रसाद

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/811047/2024-CX-3**, dated December 02, 2024 for general Information.

Notification

December 02, 2024

No. I/811047/2024-CX-3-WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supply of Gas through the pipeline laid from Phulpur to Haldia Under Pradhan Mantri Urja Ganga Project;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated May 04, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "**prohibited place**" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE**Name and specifications of the prohibited place.**

Gail India Limited Station SV-4 Village-Utterpatti (Madiyahu), Pargana and Tehsil-Madiyahu, District-Jaunpur, Uttar Pradesh.

In East-	Land of Aadhya Prasad.
In West-	Road
In North-	Nala
In South-	Land of Aadhya Prasad.

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.

07 जनवरी, 2025 ई०

सं० I/839183/2025-सी०एक्स०-3-चूँकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग वाराणसी से गोरखपुर तक गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछायी गयी गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस की पूर्ति और संयन्त्र में संस्थापित मशीनों के माध्यम से सी०एन०जी० गैस पाइपलाइन के दाब एवं ताप पठनांक को चेक करने के लिये किया जाता है,

और चूँकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा,

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनांक 11 मई, 1963 के भाग-दो, धारा-3, उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 1285, दिनांक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या-19, सन् 1923) की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है,

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस०ओ०-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

गेल इण्डिया लिमिटेड के खसरा संख्या-123, खाता संख्या-00031 (गाटा यूनिक नं० 195313-0123-2-002-12) पर हल्दिया पाइपलाइन सप्लाय गैस, सी०एन०जी० स्टेशन, उर्वरक संयन्त्र और हाउसहोल्ड के अधीन जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे०एच०बी०डी०पी०एल०) प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना सेक्शनलाइज्ड वाल्व स्टेशन-2G (एस०वी०-2G) ग्राम-राजेपुर परगना-देवगांव, तहसील-लालगंज, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

पूर्व में-	चकरोड।
पश्चिम में-	रामहित यादव आदि।
उत्तर में-	संजय राय, सुदामा देवी आदि।
दक्षिण में-	विक्रेता कल्पनाथ व ओमकारनाथ की शेष भूमि।

आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

GOPAN DEPARTMENT

Anubhag-3

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of **Notification No. I/839180/2025-CX-3**, dated January 07, 2025 for general Information.

Notification*January 07, 2025*

No. I/839180/2025-CX-3—WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used to supply Gas through the Gas pipeline laid by Gail India Limited from Varanasi to Gorakhpur, and for checking the Pressure and temperature reading of the C.N.G. Gas Pipeline in the plant through the machines installed in the plant;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has *vide* Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in Sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the aforesaid Act read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "**prohibited place**" for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE**Name and specifications of the prohibited place.**

Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL)-Pradhan Mantri Urja Ganga Pipeline Project - Sectionalised Valve Station-2G (SV-2G) under Haldia Pipeline Supply Gas, C.N.G. Station Fertilizer Plant and Household at Khasra No.123, Khata No. 00031 (Gata Unique No. 195313-0123-2-002-12) of Gail India Limited, Village- Rajepur, Pargana-Devgaon Tehsil- Lalganj, District- Azamgarh, Uttar Pradesh.

In <i>East</i> -	Chakroad.
In <i>West</i> -	Ramhit Yadav etc.
In <i>North</i> -	Sanjay Rai, Sudama Devi etc.
In <i>South</i> -	Remaining land of Seller Kalpanath and Omkarnath.

By Order,
Rajesh Kumar,
Secretary.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 01, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION]

NOTIFICATION

November 12, 2025

Correction Slip No.-276-

No. 870/VIII-c-Allahabad—In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in the Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I, which shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

THE ALLAHABAD HIGH COURT (AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires, “Rules” mean the Allahabad High Court Rules, 1952.

3. Insertion of sub-Rule (7) in Rule 18 of Chapter XVIII.-In Rule 18 of Chapter XVIII of the Rules, the following sub-Rule (7) shall be inserted after sub-Rule (6) :

(7) Every application for bail filed before this Court shall also disclose-

(a) Particulars of any bail application filed by the applicant which is pending before this Court, any subordinate Court, or the Supreme Court, and if none is pending, a clear statement to that effect, together with the result of any such application previously decided along with copy of the order (s);

(b) Whether the applicant is or was involved in any other criminal case, and if so, the particulars and decisions thereof.

By Order of the Court,
Manjeet Singh Sheoran,
Registrar General.

कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ

23 अक्टूबर, 2024 ई०

कार्यालय आदेश

सं० 124 / आठ-126 / 2022-24—जिलाधिकारी हापुड़ के पत्रांक-1485 / सात-डी०एल०आर०सी० / 2024, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के द्वारा मैसर्स क्राफ्ट मशीन इण्डिया प्रा०लि० प्लॉट नं० 94 ग्राउण्ड फ्लोर 1, 1/94 डब्लू एच०एस० कीर्ति नगर नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री अक्षत गर्ग पुत्र श्री संजय गर्ग निवासी मकान नं० 640, रेलवे रोड रेवती कुंज हापुड़ की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा, ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ की भूमि खसरा संख्या-47, रकबा 0.0280 हे० (नाली) का आवेदक संस्था की उसी ग्राम में स्थित निजी भूमि खाता सं०-88 खसरा सं०-51 रकबा 1.1900 हे० में से रकबा 0.0365 हे० से विनिमय किये जाने की संस्तुति करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-प्र०स०-45 / एक-1-2023-रा०-1, दिनांक 15 मार्च, 2023 के प्राविधानों के अनुसार मैसर्स क्राफ्ट मशीन इण्डिया प्रा०लि० प्लॉट नं० 94 ग्राउण्ड फ्लोर 1, 1/94 डब्लू एच०एस० कीर्ति नगर नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री अक्षत गर्ग पुत्र श्री संजय गर्ग निवासी मकान नं० 640, रेलवे रोड रेवती कुंज हापुड़ की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा, ग्राम हावल, परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ की भूमि खसरा संख्या-47, रकबा 0.0280 हे० (नाली) का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित संस्था भूमि खाता सं०-88 खसरा सं०-51 रकबा 1.1900 हे० में से रकबा 0.0365 हे०, जिसका मूल्य सर्किल रेट के हिसाब से अंकन रुपये 5,11,000.00 है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी हापुड़/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1— जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा आवेदक संस्था मैसर्स क्राफ्ट मशीन इण्डिया प्रा०लि०, कीर्ति नगर नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री अक्षत गर्ग पुत्र श्री संजय गर्ग निवासी मकान नं० 640, रेलवे रोड रेवती कुंज हापुड़ के स्वामित्व की

निजी भूमि स्थित ग्राम हावलपुर, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग/नाली के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

2— उप जिलाधिकारी (धौलाना), हापुड़ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या-51 रकबा 0.0365 है0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

3— विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी धौलाना द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

4— विनिमय के सापेक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित संस्था को दिया जायें साथ ही संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

5— विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (नाली) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

6— आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाली ग्राम सभा की भूमि खाता सं0-340 खसरा सं0-47 रकबा 0.0280 है0 (नाली) स्थित ग्राम हावल, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

7— लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

8— जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विज्ञप्ति

05 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 184/आठ-09/2024-26—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 तथा शासनादेश सं0-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016, शासनादेश सं0-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपभोग करते हुए मैं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम किरा, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की ग्राम सभा भूमि गाटा संख्या 638/0.057 है0 (नवीन परती), गाटा संख्या 628/806/0.068 है0 (नवीन परती), गाटा संख्या 558/0.025 है0 (बंजर) व गाटा संख्या 619 मि/0.363 है0 (बंजर) कुल क्षेत्रफल 0.513 है0 भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ तथा इसी क्रम में जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक-1754/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 में किये गये अनुरोध को दृष्टिगत कर निम्न अनुसूची में अंकित भूमि को बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के पक्ष में प्रस्तावित योजना खुर्जा औद्योगिक पार्क हेतु पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का कुल प्रस्तावित प्रतिकर अंकन रुपये 1,45,73,001.00 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख तिहत्तर हजार एक मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की शर्त के अधीन खुर्जा औद्योगिक पार्क हेतु बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण के पक्ष में सशुल्क हस्तान्तरित करती हूँ।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खसरा संख्या एवं खसरावार क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	विवरण	भूमि पुर्नग्रहित करने हेतु विशेष प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	खुर्जा	खुर्जा	किर्वा	किर्वा	638	0.057	नवीन परती	खुर्जा औद्योगिक
"	"	"	"	"	628 / 806	0.068	नवीन परती	पार्क हेतु
					558स	0.025	बंजर	बुलन्दशहर-खुर्जा
					619स	0.363	बंजर	विकास प्राधिकरण के पक्ष में
					योग.	0.513		

06 नवम्बर, 2024 ई०

कार्यालय आदेश

सं० 199/आठ-06/2024-26—जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक-881/सात-डी०एल०आर०सी०/2024, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 के द्वारा मैसर्स रैपिड बिल्डटेक प्रा०लि०, 11 वां तल, पारस ट्विन टावर्स, सेक्टर-54, गुरुग्राम (हरियाणा) एवं उसकी सहभागी कम्पनियों की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा मलियाना, परगना, तहसील व जिला मेरठ की भूमि खसरा संख्या-1737, रकबा 0.0310 हे० (नाली), खसरा संख्या-1780, रकबा 0.0380 हे० (नाली), खसरा संख्या-1785, रकबा 0.1900 हे० (नाली), खसरा संख्या-1801, रकबा 0.1010 हे० (नाली), खसरा संख्या-1815, रकबा 0.0102 हे० (नाली), खसरा संख्या-1736, रकबा 0.0440 हे० (चकमार्ग), खसरा संख्या-1797, रकबा 0.0065 हे० (चकमार्ग) कुल रकबा 0.4207 हे० का आवेदक संस्था एवं उसकी सहभागी कम्पनियों की उसी ग्राम में स्थित निजी भूमि खसरा संख्या-1288, रकबा 0.2530 हे०, खसरा संख्या-1289, रकबा 0.1184, खसरा संख्या-1292, रकबा 0.1070 हे०, खसरा संख्या-1798 मि०, रकबा 0.0240 हे०, खसरा संख्या-1814, रकबा 0.0134 हे०, खसरा संख्या-1812, रकबा 0.0080 हे०, खसरा संख्या-1807, रकबा 0.0032 हे० कुल रकबा 0.5270 हे० से विनिमय किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 के अन्तर्गत विनिमय की अनुज्ञा मांगी गयी।

जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की मांगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-प्र०स०-45/एक-1-2023-रा०-1, दिनांक 15 मार्च, 2023 के प्राविधानों के अनुसार मैसर्स रैपिड बिल्डटेक प्रा०लि०, 11 वां तल, पारस ट्विन टावर्स, सेक्टर-54, गुरुग्राम (हरियाणा) की निजी भूमि के मध्य आ रही ग्राम सभा मलियाना, परगना, तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या-1737, रकबा 0.0310 हे० (नाली), खसरा संख्या-1780, रकबा 0.0380 हे० (नाली), खसरा संख्या-1785, रकबा 0.1900 हे० (नाली), खसरा संख्या-1801, रकबा 0.1010 हे० (नाली), खसरा संख्या-1815, रकबा 0.0102 हे० (नाली), खसरा संख्या-1736, रकबा 0.0440 हे० (चकमार्ग), खसरा संख्या-1797, रकबा 0.0065 हे० (चकमार्ग) कुल रकबा 0.4207 हे० का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित संस्था एवं उसकी सहभागी कम्पनियों की निजी भूमि खसरा संख्या-1288, रकबा 0.2530 हे०, खसरा संख्या-1289, रकबा 0.1184, खसरा संख्या-1292, रकबा 0.1070 हे०, खसरा संख्या-1798 मि०, रकबा 0.0240 हे०, खसरा संख्या-1814, रकबा 0.0134 हे०, खसरा संख्या-1812, रकबा 0.0080 हे०, खसरा संख्या-1807, रकबा 0.0032 हे० कुल रकबा 0.5270 हे०, जिसका कुल मूल्य उपनिबन्धक के मूल्यांकन के हिसाब से 2,74,69,220.00 है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर

कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व जिलाधिकारी मेरठ/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1— जिलाधिकारी मेरठ द्वारा आवेदक संस्था मै0 रैपिड बिल्डटेक प्रा0लि0, 11वां तल, पारस ट्विन टावर्स, सेक्टर-54 गुरुग्राम (हरियाणा) एवं उसकी सहभागी कम्पनियों के स्वामित्व की निजी भूमि स्थित ग्राम मलियाना, परगना, तहसील व जिला मेरठ से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त संस्था की भूमि को सार्वजनिक उपयोग/नाली व चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

2— उप जिलाधिकारी (सदर), मेरठ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि खसरा संख्या-1288, रकबा 0.2530 हे0, खसरा संख्या-1289, रकबा 0.1184, खसरा संख्या-1292, रकबा 0.1070 हे0, खसरा संख्या-1798 मि0, रकबा 0.0240 हे0, खसरा संख्या-1814, रकबा 0.0134 हे0, खसरा संख्या-1812, रकबा 0.0080 हे0, खसरा संख्या-1807, रकबा 0.0032 हे0 कुल रकबा 0.5270 हे0 पर आवेदक संस्था का स्वामित्व निर्विवादित हो तथा आवेदक संस्था द्वारा विनिमय में दी जाने वाली भूमि पर किसी सहखातेदार की आपत्ति न हो।

3— विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

4— विनिमय के सापेक्ष संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ही ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित संस्था को दिया जायें साथ ही संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

5— विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा संस्था को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (नाली व चकमार्ग) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

6— आवेदक संस्था की निजी भूमि के मध्य आने वाली ग्राम सभा की भूमि खसरा संख्या-1737, रकबा 0.0310 हे0 (नाली), खसरा संख्या-1780, रकबा 0.0380 हे0 (नाली), खसरा संख्या-1785, रकबा 0.1900 हे0 (नाली), खसरा संख्या-1801, रकबा 0.1010 हे0 (नाली), खसरा संख्या-1815, रकबा 0.0102 हे0 (नाली), खसरा संख्या-1736, रकबा 0.0440 हे0 (चकमार्ग), खसरा संख्या-1797, रकबा 0.0065 हे0 (चकमार्ग) कुल रकबा 0.4207 हे0 स्थित ग्राम मलियाना, परगना व तहसील मेरठ का उपयोग शजरे के अनुसार जिन काश्तकारों द्वारा किया जा सकता था उनसे इस आशय की अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाए कि उनके लिए विनिमय के लिए प्रस्तावित नाली व चकमार्ग की उपयोगिता समाप्त हो गयी है, इनकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी।

7— जिलाधिकारी मेरठ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत विनिमय के उपरान्त ग्रामसभा मलियाना, परगना, तहसील व जिला मेरठ की प्रश्नगत भूमियों को प्रस्ताव में उल्लिखित तालिका क्रमांक-03 के अनुसार ही रैपिड बिल्डटेक एवं उसकी सहभागी कम्पनियों के नाम दर्ज कराया जायें

8— लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर जिलाधिकारी मेरठ द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9— जिलाधिकारी मेरठ द्वारा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

01 जनवरी, 2025 ई0

संशोधित कार्यालय आदेश

सं0 557/आठ-12/2024-26—इस कार्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-503/आठ-12/2024-26, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से जिलाधिकारी बुलन्दशहर के पत्रांक-1884/डी0एल0आर0सी0, दिनांक

16 दिसम्बर, 2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद बुलन्दशहर की ग्राम किरा में प्रस्तावित योजना खुर्जा-औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा किरा, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की भूमि खसरा संख्या-566/0.0110 हे0, ख0सं0-610/0.002 हे0, ख0सं0-635/0.022 हे0, ख0सं0-662/0.006 (जो नाली के रूप में दर्ज है) तथा ख0सं0-634/0.056 हे0, ख0सं0-637/0.176 हे0, ख0सं0-641/रकबा 0.027 हे0 (जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है) कुल रकबा 0.299 हे0 का बुलन्दशहर-खुर्जा-विकास प्राधिकरण, जनपद बुलन्दशहर के स्वामित्व की उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या-647, कुल रकबा 0.299 हे0 (जिसमें से 0.034 हे0 भूमि में चकमार्ग एवं शेष 0.265 हे0 भूमि एकजाई, जिसकी नौय्यत नाली/चकमार्ग रहेगी) से विनियम किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त कार्यालय आदेश संख्या-503/आठ-12/2024-26, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 में टंकण त्रुटिवश ग्राम किरा में प्रस्तावित योजना खुर्जा-औद्योगिक पार्क के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्रामसभा किरा, तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर की भूमि खसरा संख्या-566 का रकबा 0.010 हे0 के स्थान पर खसरा संख्या-566/0.0110 हे0 अंकित हो गया है, जिसे संशोधित कर ग्रामसभा किरा की भूमि खसरा संख्या-566/रकबा 0.010 हे0 किया जाता है। अतः ग्राम सभा किरा की भूमि खसरा संख्या-566 का रकबा 0.0110 हे0 के स्थान पर खसरा संख्या-566/0.010 हे0 पढ़ा, लिखा एवं समझा जाये। शेष कार्यालय आदेश संख्या-503/आठ-12/2024-26, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 यथावत रहेगा।

सेल्वा कुमारी जे0,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञायें

20 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 437/डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2024-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	अनरी का पुरा	123	0.043 हेक्टेयर	प्राचीन परती	खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 शासन (सरकारी राशन की दुकान के निर्माण हेतु)

सं0 438/डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2024-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना

संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	भदोही	भदोही	नगुवा	333मि०	0.253 हेक्टेयर	ऊसर	पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन (खेल का मैदान नगुवा हेतु)

सं० 439/डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2024—शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	भदोही	भदोही	नगुवा	333मि०	0.019 हेक्टेयर	ऊसर	ग्राम पंचायत विभाग, उ०प्र० शासन (सामुदायिक शौचालय नगुवा वि०खं० भदोही हेतु)

सं० 440/डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2024—शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	भदोही	भदोही	नगुवा	333मि०	0.037 हेक्टेयर	ऊसर	पंचायती राज विभाग, उ०प्र० लखनऊ (पंचायत भवन के निर्माण हेतु)

24 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 442 / डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण / 2024-शासनादेश संख्या-740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम सं० 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	भरतपुर	294मि०	0.013	ग्राम समाज	पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन (आर०आर०सी० सेन्टर कूड़ाघर हेतु)
2	"	"	"	"	294मि०	0.026	ग्राम समाज	खाद्य एवं रसद विभाग उ०प्र० शासन (सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के हेतु)
3	"	"	"	"	294मि०	0.328	ग्राम समाज	पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन (खेल का मैदान हेतु)
4	"	"	"	"	305	0.200	ग्राम समाज	पंचायती राज उ०प्र० लखनऊ (पंचायत भवन कार्यालय के निर्माण हेतु)

08 अक्टूबर, 2024 ई०

सं० 455 / डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण / 2024-शासनादेश संख्या-740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार

करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	ज्ञानपुर	भदोही	कंसापुर	220मि0	0.013 हेक्टेयर	ऊसर	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय/ औषधालय सह शाखा कार्यालय खोले जाने हेतु)

06 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 491/डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2024-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	भदोही	भदोही	परगासपुर	108	0.039 हेक्टेयर	नवीन परती	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन (उपकेन्द्र भवन परगासपुर (PM-ABHIM) के निर्माण हेतु)

24 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 503/डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2024-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते

हुये मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	भदोही	भदोही	मुंशीलाटपुर	651	0.190 हेक्टेयर	ऊसर	गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन (पुलिस चौकी मुंशीलाटपुर के निर्माण हेतु)

11 फरवरी, 2025 ई0

सं0 536/डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2025-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा0-1 दिनांक 04 अगस्त, 2018 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थीं, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 के प्रस्तर-2 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में नीचे अनुसूची के स्तम्भ-6 व 8 में अंकित भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्वर्तन में रखते हुए भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा-भदोही हेतु सःशुल्क धनराशि रु0 36,51,480.00 (छत्तीस लाख एक्यावन हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र) मालगुजारी धनराशि रु0 883.50 प्रति वर्ष में पुनर्गृहीत की जाती है—

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भदोही	भदोही	भदोही	रजपुरा टाउन	661मि0	0.262 हेक्टेयर	0.1242 हेक्टेयर	ऊसर	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा-भदोही

14 फरवरी, 2025 ई0

सं0 539/डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2025-शासनादेश संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व, संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा0-1 दिनांक 04 अगस्त, 2018 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, विशाल सिंह, जिलाधिकारी-भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के

स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थीं, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 के प्रस्तर-2 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में नीचे अनुसूची के स्तम्भ-6 व 8 में अंकित भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्वतन में रखते हुए भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा-भदोही हेतु सःशुल्क धनराशि रु0 24,49,020.00 (चौबीस लाख, उनचास हजार, बीस रुपये मात्र) मालगुजारी धनराशि रु0 423.00 प्रति वर्ष में पुनर्गृहीत की जाती है—

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भदोही	भदोही	भदोही	रजपुरा टाउन अन्दर	695	0.384 हेक्टेयर	0.0595 हेक्टेयर	ऊसर	भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा-भदोही भदोही (रजपुरा वृहद बाजार योजना हेतु)

विशाल सिंह,
जिलाधिकारी, भदोही।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी गोण्डा

अधिसूचना

दिनांक 06 नवम्बर, 2025 ई0

सं० 1266/आठ-वि०भू०अ०अ०/अधिसूचना/गोण्डा/2025-भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश, सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि गोण्डा-बाराबंकी रेल सेक्शन के लेवल क्रासिंग-262 (मिश्रौलिया क्रासिंग) पर निर्माणाधीन 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जनपद-गोण्डा, तहसील-गोण्डा, परगना-गोण्डा, ग्राम-जानकी नगर, ग्रामीण में कुल 0.0336765 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-गोण्डा-बाराबंकी रेल सेक्शन के लेवल क्रासिंग-262 (मिश्रौलिया क्रासिंग) पर निर्माणाधीन 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है तथा अर्जन प्रभावित भूमि न्यूनतम भूमि है, चूंकि परियोजना पूर्ण होने के अन्तिम चरण में होने के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण का अध्ययन कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में परियोजना को सामरिक हितों के दृष्टिगत भू-अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-40 के उप धारा(5) के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही किया जाना नियमानुसार है जिसके अनुसार किसी अतिरिक्त प्रतिकर का सन्दाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3-भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित भूमि का सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहमति देते हैं —

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
गोण्डा	गोण्डा	गोण्डा	जनकी नगर ग्रामीण	418	हेक्टेयर में 0.0075000
				432	0.0014730
				433	0.0010360
				434	0.0044055
				435	0.0006975
				436	0.0012800
				473	0.0006300
				472	0.0053360
				471	0.0050000
				470	0.0063185
योग ...					0.0336765

5-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6-अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, GONDA

Notification

Date : November, 06, 2025

No. 1266/VIII-S.L.A.O./Notification/Gonda/2025—Under Sub-section(1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Rehabilitation Act,2013, here in after referred to as the said Act, Whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector (for the purpose of Appropriate) is satisfied that a total of **0.0336765** hactare of land is required For the Construction of Overpass bridge Line 02 at level Crossing 262 (Mishraulia Crossing) of Gonda-Barabanki Rail section in the **Village-Jankinagar Gramin, Pargana-Gonda, Tehsil-Gonda, District-Gonda** for public purpose under the said project namely Overpass Bridge Line project.

2. Construction work of the 02 lane flyover under Construction at Level Crossing 262 (Mishraulia Crossing) of Gonda-Barabanki rail section is in the final stage and the land affected by Acquisition is minimum Land. Since the project is in the final stage of completion, there is no justification for conducting a study of Social Impact Assessment In such a situation, in view of the strategic interests of the project, it is as per rules to take action for Land Acquisition under clause-2 of Sub-section-5 of section 40 of Land Acquisition Act-2013. According to which, no additional compensation will be required to be paid.

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. There fore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Gonda	Gonda	Gonda	Janki Nagar	418	0.0075000
			Gramin	432	0.0014730
				433	0.0010360
Gonda	Gonda	Gonda	Janki Nagar	434	0.0044055
			Gramin	435	0.0006975
				436	0.0012800
				473	0.0006300
				472	0.0053360
				471	0.0050000
				470	0.0063185
Total ...					0.0336765

5-The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the acquisition to takes necessary steps enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub-soil in to the sub-oil and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section-12 of the Act.

6-Under Section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or any transaction of the land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

Note: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

*Collector,
Gonda.*

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

15 मई, 2025 ई0

सं0 2438/जी0-155/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-भोजपुर, जनपद-फर्रुखाबाद के ग्राम-टाडाबहरामपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

24 जुलाई, 2025 ई0

सं0 3561/जी0-32/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-संडीला, परगना-गोड़वा, जनपद-हरदोई के ग्राम-जाजूपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

28 जुलाई, 2025 ई0

सं0 3603/जी0-170/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सवायजपुर, परगना-साण्डी, जनपद-हरदोई के ग्राम-खिम्मापुरवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

29 जुलाई, 2025 ई0

सं0 3604/जी0-176/2024-25/धारा-6(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील-सदर, जनपद-चन्दौली के ग्राम-भुजना में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-3976/जी0-610/2023-24 दिनांक 29 अगस्त, 2023 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

29 जुलाई, 2025 ई0

शुद्धि-पत्र

सं0 3614/जी0-610/2024-25(5)—निदेशालय के पत्र संख्या-4486/जी0-610/2024-25(5) दिनांक 06 सितम्बर, 2024 द्वारा जनपद-रामपुर की तहसील व परगना-शाहबाद के ग्राम-खरसौल को जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 की धारा-4 की उप धारा-(2) के अन्तर्गत चकबन्दी क्रियाओं में सम्मिलित करने की विज्ञप्ति निर्गत की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है, शुद्ध धारा-4क(2) अंकित होना चाहिए।

अतः चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 23 जुलाई, 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-4486/जी0-610/2024-25(5) दिनांक 06 सितम्बर, 2024 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में धारा-4 की उपधारा-(2) के स्थान पर धारा-4क(2) पढ़ा जाय। शेष उपबन्ध यथावत रहेंगे।

मधु सूदन दूबे,
संयुक्त संचालन चकबन्दी,
कृते आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

30 जुलाई, 2025 ई0

सं0 3651/जी0-48/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-चिरैयाकोट जनपद-आजमगढ़ के ग्राम-इदिलपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

05 अगस्त, 2025 ई0

सं0 3696/जी0-155ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी,

चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-अमृतपुर, जनपद-फर्रुखाबाद के ग्राम-गुड़ेरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3697/जी0-163/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-कटेहर, जनपद - वाराणसी के ग्राम उधोरामपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3699/जी0-168/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-सदर, जनपद- प्रतापगढ़ के ग्राम-मकईपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3700/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-रानीगंज, परगना-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम-दुबेपट्टी रामबक्श में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

06 अगस्त, 2025 ई0

सं0 3783/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम-अहुगी खुर्द, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3784/जी0-178/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील-बांसी, परगना-बांसी पूरब, जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम-रैन्दाताल, तप्पा-बीसो में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3785/जी0-365/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-चुनार, परगना-अहरौरा, जनपद-मीरजापुर के ग्राम-रीखईपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

07 अगस्त, 2025 ई0

सं0 3812/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम-पड़रा हनुमान, तप्पा-84 में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

08 अगस्त, 2025 ई0

सं0 3826/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-नौतनवा, परगना-हवेली, जनपद-महराजगंज के ग्राम-महेशपुर मेंहदिया, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

22 अगस्त, 2025 ई0

सं0 3980/जी0-32/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-संडीला, जनपद-हरदोई के ग्राम-मल्हेरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3987/जी0-154/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-मनकापुर, जनपद-गोण्डा

के वनटांगिया, ग्राम-अशरफाबाद में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3988/जी0-43/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-देवबन्द, जनपद-सहारनपुर के ग्राम-कुड़ी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3989/जी0-172/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-तरबगंज, परगना-नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के ग्राम-महेशपुर वन में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3990/जी0-178/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बांसी, परगना-मगहर पश्चिम, जनपद-सिद्धार्थनगर के ग्राम-कड़सरा, तप्पा-रुधौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

17 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 4369/जी०-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश, जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति

सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बांदा, जनपद-बांदा, के ग्राम-सिलेहटा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 01, 1947 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

वर्ष 2026 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा का संयुक्त परीक्षा कार्यक्रम

18 नवम्बर, 2025 ई०

संख्या : मा०शि०प०/समन्वय/171—सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रसारित है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 (परीक्षा वर्ष 2026) की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट हेतु निम्नवत् परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

दिवस तथा दिनांक	समय	विषय तथा प्रश्नपत्र हाईस्कूल	विषय तथा प्रश्नपत्र इण्टरमीडिएट
1	2	3	4
बुधवार 18 फरवरी, 2026 ई०	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	हिन्दी, प्रारम्भिक हिन्दी	
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		हिन्दी, सामान्य हिन्दी,
बृहस्पतिवार 19 फरवरी, 2026 ई०	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	कम्प्यूटर	काष्ठ शिल्प, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र(कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का

1	2	3	4
			प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातुशिल्प (मेटल क्राफ्ट) कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, (डाटा एन्ट्री प्रासेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल)–प्रथम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	सिलाई	नागरिक शास्त्र
शुक्रवार 20 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	सामाजिक विज्ञान	कृषि शस्य विज्ञान(एग्रोनामी)–प्रथम प्रश्नपत्र–(कृषि भाग-1 के लिये) कृषि शस्य विज्ञान(एग्रोनामी) –षष्ठम् प्रश्नपत्र–(कृषि भाग-2 के लिये),
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		अंग्रेजी
शनिवार 21 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	गृहविज्ञान–(केवल बालिकाओं के लिये) गृहविज्ञान–(बालकों के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया है)	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र(कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, (डाटा एन्ट्री प्रासेस), घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल

1	2	3	4
			रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल)—द्वितीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		इतिहास
सोमवार 23 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	अंग्रेजी	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र(कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स, (डाटा एन्ट्री प्रासेस), घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल)—तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	इलेक्ट्रीशियन, हेल्थकेयर, आटोमोबाइल, सोलर सिस्टम रिपेयर, प्लम्बर, सुरक्षा, आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0, मोबाइल रिपेयर, आपदा प्रबन्धन, रिटेलट्रेडिंग (खुदरा व्यापार)	जीव विज्ञान, गणित
मंगलवार 24 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	एन0सी0सी0	शस्य विज्ञान (व्यावसायिक) कृषि वनस्पति विज्ञान—द्वितीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिए) कृषि अर्थशास्त्र—सप्तम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिए)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	मानव विज्ञान	अर्थशास्त्र

1	2	3	4
बुद्धवार 25 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	विज्ञान	संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला ,
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र,
बृहस्पतिवार 26 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	गुजराती, पंजाबी, बंगला मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली	कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान-तृतीय प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान-अष्टम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		भूगोल,
शुक्रवार 27 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	गणित,	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी), आशुलिपि एवं टंकण (अंग्रेजी), विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट) अलौह, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)-(नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स (डाटा एन्ट्री प्रोसेस), घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/ आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल)-चतुर्थ प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान,
शनिवार 28 फरवरी, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	संस्कृत,	कृषि अभियंत्रण-चतुर्थ प्रश्नपत्र-(कृषि भाग-1 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान-नवम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये),
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	संगीत वादन,	चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला,

1	2	3	4
शनिवार 07 मार्च, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	वाणिज्य,	फल एवं खाद्य संरक्षण, पाकशास्त्र(कुकरी), परिधान रचना एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीट पालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण हिन्दी, आशुलिपि एवं टंकण अंग्रेजी, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)–(अलौह), धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट)–(नक्काशी), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स (डाटा एन्ट्री प्रोसेस), घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई0टी0/आई0टी0ई0एस0, हेल्थ केयर (स्वास्थ्य देखभाल)- पंचम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		मानव विज्ञान
सोमवार 09 मार्च, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	उर्दू	उर्दू, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली,
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र
मंगलवार 10 मार्च, 2026 ई0	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	चित्रकला, रंजनकला	सामान्य आधारिक विषय-व्यावसायिक वर्ग के लिये कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी-पंचम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये) कृषि रसायन विज्ञान -दशम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		व्यवसाय अध्ययन-वाणिज्य वर्ग के लिये गृह विज्ञान

1	2	3	4
बुद्धवार 11 मार्च, 2026 ई०	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	संगीत गायन	लेखाशास्त्र-वाणिज्य वर्ग के लिये एन०सी०सी०
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक	पालि, अरबी, फारसी	पालि, अरबी, फारसी,
बृहस्पतिवार 12 मार्च, 2026 ई०	प्रातः 8-30 बजे से 11-45 बजे तक	कृषि	कम्प्यूटर
	सायं 2 बजे से 5-15 बजे तक		संस्कृत

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 22 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 01, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर

15 मार्च, 2025 ई०

सं० 246/जलकल/सेप्टेज उपविधि/2024-25-नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उ०प्र० गोमती नगर विस्तार, सैक्टर-7, लखनऊ के पत्र संख्या 423/01/नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि (FSSM Bye-Laws) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुपालन में नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के विशेष बोर्ड प्रस्ताव संख्या 319 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस पर समाचार-पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान के अंक दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 में इस उपविधि पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो प्रकाशित अधिसूचना के तीस दिवस के अन्दर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के कार्यालय में एवं डाक द्वारा आपत्ति दर्ज कराने हेतु समय दिया गया। लेकिन समयावधि में कोई भी आपत्ति इस निकाय को प्राप्त नहीं हुई। यह उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पालिका परिषद, क्षेत्र बुलन्दशहर में लागू होगी।

फीकल स्लज, सेप्टेज प्रबन्धन के लिए उपविधि

अध्याय-1

प्रारम्भिक—

1— लघु-पीरिषक और प्रारंभ—

(i) इन विनियमों को “बुलन्दशहर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपषिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.M.) विनियम, 2022” कहा जायेगा।

(ii) ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद, की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2— परिभाषाये—

(i) “एक्सेस कवर” से तात्पर्य है— निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

(ii) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर पंजीकृत वैक्यूम टैंकर” से तात्पर्य है— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका बुलन्दशहर नगर पालिका परिषद, द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(iii) “विकेन्द्रीकृत अपषिष्ट जल उपचार प्रणाली (ADWWT)” एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-अलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपषिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल है। डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी से अपषिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

(iv) “निर्दिष्ट अधिकारी” से तात्पर्य है— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर का ऐसा अधिकारी, जिसे अधिषासी अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

(v) “डी-स्लजिंग” से लाईसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) से एफ0एन0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है,

(vi) “निपटान” से एफ0एस0एस0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है—

(vii) “उत्प्रवाही” किसी ओएसएस से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है,

(viii) “फीकल स्लज” से ओएसएस की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक रासायनिक और जैविक विशेषतायें भंडारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.) में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

(ix) “फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लाट (A.F.S.S.T.P.)” सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानको तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतन्त्र एफ0एस0एस0 ट्रीटमेंट

सुविधा है। इससे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहां फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवरेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(x) “लाइसेंस” से तात्पर्य है— किसी व्यक्ति को दी गयी लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

(xi) “लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर” से तात्पर्य है— डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति,

(xii) “अधिसूचित स्थान” से तात्पर्य है— एफ0एस0एस0 पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है,

(xiii) “ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (O.S.S.)” ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है, जहां पर वह उत्पन्न होता है।

(xiv) “प्रचालक” से तात्पर्य है— एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

(xv) “व्यक्ति” प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कम्पनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(xvi) “षेड्यूल्ड डी-स्लजिंग”— सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सी0पी0एच0ई0ओ0) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अन्तराल पर ओ0एस0एस0 को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(xvii) “सेप्टेज” सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

(xviii) “सीवेज” अपषिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है,

(xix) “सीवर” से तात्पर्य है— समुदाय के अपषिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करायी गयी भूमिगत पाईप लाईन।

(xx) “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट” से तात्पर्य है— वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

(xxi) “कार्यबल” से तात्पर्य है— शहर में अधिवासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

(xxii) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी” से तात्पर्य है— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के स्वामित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिए नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के सेवारत/अनुबन्धित कर्मचारी,

(xxiii) “परिवहन” से तात्पर्य है— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना,

(xxiii) “ट्रीटमेंट” से तात्पर्य है—प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ0एस0एस0/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनायी गयी कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया

(xxv) “वैक्यूम टैंकर” एक ऐसा वाहन है जिसमें एफ0एस0एस0 को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लज किये गये एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

(xxvi) “अपशिष्ट जल” से तात्पर्य है—घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें षौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किन्तु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियां से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों के प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किन्तु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर उनसे जन आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

अपशिष्ट जल प्रबन्धन—

3— परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान— प्रत्येक सम्पत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीके से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

(i) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, सम्पत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

(ii) अपशिष्ट जल को बी0एन0पी0पी0 द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा के प्रवाहित किया जाये।

(iii) जिस सम्पत्ति से प्रति दिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्गमीटर से अधिक हरित क्षेत्र है वहां एक डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 संस्थापित करेगा ताकि सम्पत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सके। सम्पत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड जल का बागवानी/ फलपिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट लेट न हो।

अध्याय-3

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं—

4— ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव—

(i) ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी स्थापना समय-समय पर यथा आषोषित “मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0” के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पालिका

परिषद, बुलन्दशहर या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए, किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग के अनुसार होंगे।

(ii) ओ0एस0एस0 से जुड़ी सम्पत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देख-रेख रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) परिसर का मालिक/धारक नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

(iv) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए

(vi) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज सेप्टेज एंव अपशिष्ट जल (F.S.S.M) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

(vii) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर अपने विवेक से सम्पत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग—

5— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना—

(i) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर निजी ऑपरेटर/ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व किराये पर लिए वैक्यूम टैंकर/टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में बुलन्दशहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ii) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एण्ड कम्प्यूनिक्शन (आई0ई0सी0) गतिविधिया करेगी जहां उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षित पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि यह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iv) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर एफ0एस0एस को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v) लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत

किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियत और शर्तों की पूर्ति निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

(vi) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर आवेदक के स्वामित्व या किराये पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरो को पंजीकृत करेगी। नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर अपनी सन्तुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है, जिनके विषय में नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर मानती है, कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6— लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड—

(i) लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2(XV) में परिभाषित “व्यक्ति” है।

(ii) आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ) गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराये पर होना/होने चाहिए।

(iii) बुलन्दशहर में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरो को पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक यह पथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराये पर लिए गए वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर अथवा नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा नियुक्त एजेन्सी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जोकि अधिसूचित स्थानों से एफ0एस0एस0 के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पी0पी0ई0 इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7— लाइसेंस के लिए आवेदन— एफ0एस0एस0 के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

8— लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमन्त्रण— बी0एन0पी0पी0 अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, संभावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमन्त्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

9— लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क प्रभारित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पक्ष में डिमांड-ड्रॉप्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10— परफॉरमेंस गारंटी— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जाएगा।

10.1— पंजीकरण के शुल्क और वैधता—

(i) ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क 3,000/—

(ii) पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 01 वर्ष तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है, यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है, तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रुपये 2,000/—

11— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों को अपनी वेब-साइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12— जागरूक अभियान— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-5**एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन—****13— सम्पत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा—**

(i) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना सम्पत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजर/स्लजरों को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र 3 में निर्धारित एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फार्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

14— एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क—

(i) एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में डेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे सम्पत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, सम्पत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा/करेगी।

(iv) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15— एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन—

(i) एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरो या नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा डी-स्लजल एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जाएगा।

(ii) वैक्यूम टैंकर/टैंकरो को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गयी हो। ऐसे मामलों में सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii) एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा चिन्हित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(iv) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा जारी किए गए ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कॉपी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

(v) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में “सेप्टिक टैंक वेस्ट” (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व “मलकुड अपशिष्ट” (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियां को) चिन्हित किया जाएगा।

(vi) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस, उपकरण लगाया जायेगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिए जायेगे।

16— परिवहन के दौरान सावधानियां— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17— दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय— एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचाने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा।

18— दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता— किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, सम्पत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजें का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19— तैनात कर्मी/कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेन्डर के साथ ऑक्सीजन-मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” में तथा इसके बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20— एफ0एस0एस0 का निपटान—

(i) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफ0एस0एस0 का निपटान करेगा/करेगी।

(ii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकार्ड फॉर्म नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा/करेगी।

21— कर्मी/कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी/कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

22— कर्मी/कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी/कर्मियों की जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम-से-कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23— बीमा— एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों, को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जायेगा।

24— लाइसेंस रद्द करना— इन विनियमों सहित "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉर्मेंस गारंटी को जप्त करना शामिल है।

अध्याय-6

एफ0एस0एस0 डब्ल्यू0 के उपचार एवं पुनः उपयोग/निपटान

25— उपचार/निपटान स्थल/स्थलों की पहचान— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर ऐसे स्थान/स्थानों की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

26— एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन/वाहनों द्वारा लाये गये एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान/स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27— एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती—प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानान्तरित करने हेतु बी0एन0पी0पी0 पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28— एफ0एस0एस0 प्राप्ति का समय— नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जायेगा।

29— औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए— औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ0एस0एस0 को अधिसूचित स्थान/स्थानों पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

30— एफ०एस०एस०एम० में प्रशिक्षण— बी०एन०पी०पी० द्वारा अधिसूचित स्थान/स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफ०एस०एस० प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

31— उपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का पुनः उपयोग—

(i) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर किसानों को अनुपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफ०एस०एस०टी०पी० से उपचारित एफ०एस०एस० डब्ल्यू० का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ii) नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में डी०डब्ल्यू०डब्ल्यू०टी० से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आस-पास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में प्रस्तावक अन्य विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर से परामर्श करेगा।

अध्याय-7

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32— प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

(i) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिषासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिषासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33— निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार— इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफ०एस०एस०डब्ल्यू० उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34— उल्लंघन और दंड—

(i) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जायेगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति-(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की डी-स्लज करने के लिए हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और सम्बन्धित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जायेगा, और साथ ही एफ०एस०एस० परिवहन वाहन, एफ०एस०एस०डब्ल्यू० उपचार सुविधा या सम्पत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

(iv) जहां कही ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु0 5,000) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा, और इसके बाद निरन्तर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रुपये 1,000) प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

(v) संदेह के समाधान के लिए, एतद् घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य सम्बन्धित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35— अपील— कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिषासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिषासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है।

36— विवाद समाधान उपबंध— कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के सम्बन्ध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल बुलन्दशहर होगा।

37— संदर्भ दस्तावेज— नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिए, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानको, रणनीतियों, मैनुअल, दिषा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेगे।

38— राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे— राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

निबंधन एवं शर्तें—

(i) मल कीचड़ और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा, जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

(ii) मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफ0एस0एस0टी0पी0) तक एफ0एस0एस0 के संग्रहण और परिवहन के लिए लिया जाने वाला शुल्क समय-समय पर नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओ0एस0एस0 के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं वसूल करेगा।

(iii) एफ0एस0एस0 का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

(iv) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0एस0टी0पी0 तक परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

(v) डिस्लजिंग बिन्दु से एफ0एस0एस0टी0पी0 तक एफ0एस0एस0 को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिए निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

(vi) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा और बी0एन0पी0पी0 और नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जायेगा।

(vii) किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, सम्पत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(viii) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

(ix) वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में "सेप्टिक टैंक वेस्ट" (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

(x) लाइसेंसधारी एफ0एस0एस0 को केवल निर्दिष्ट एफ0एस0एस0टी0पी0/नामित स्थानों में ही निपटान करेंगे।

(xi) एफ0एस0एस0टी0पी0 पर एफ0एस0एस0 सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सके।

(xii) लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उपाय करने, एफ0एस0एस0 के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिए होगा।

(xiii) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय बी0एन0पी0पी0 को इससे सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

(xvi) एफ0एस0एस0 की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा।

(xv) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित अर्थदण्ड का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 [भाग 1,] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एम0ओ0एचयू के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाईलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन—

- आयताकार लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से 4
- गहराई 1.0 से 2.5 मीटर के बीच
- दो कक्ष पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मषीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार—

उपयोग कर्ता की संख्या	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	द्रव की गहराई (सफाई अन्तराल) (मीटर)
1	2	3	4
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट—

1— सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें

2— फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए

स्रोत सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल-भाग ए इन्जीनियरिंग सीपीएचईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता— टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुएं हैं—

- अवसादन (सेडीमिटेशन) निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भण्डारण फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अन्तराल के लिए एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ M3/कैपिटा}$ की आवश्यकता होती है।

परिशिष्ट-2**(खण्ड 14(i), 5(iii) देखे)**

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की दुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्रम सं०	श्रेणी (प्रकार)	शुल्क की सीमा प्रथम ट्रिप	शुल्क की सीमा द्वितीय ट्रिप, तृतीय ट्रिप, व अन्य ट्रिप
1	2	3	4
		रुपये	रुपये
1	मिनी टैंकर (500 लीटर)	1,000	500
	क— आवासीय भवन (कच्चा/पक्का)		
	ख— व्यवसायिक प्रतिष्ठान व सभी प्रकार के भवनों के लिए,	1,000	500
2	सेक्शन मशीन (3000/4000 लीटर)	2,500	2,000
	क— आवासीय सदन निजी/सरकारी		
	ख— होटलों/बड़े प्रतिष्ठानों के लिए	3,000	2,500

स्रोत— सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट—

1— उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2— उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 500 से 400 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित है। रेज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉली बैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतले, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया है।

परिशिष्ट-3**(खण्ड 7(vii) देखे)**

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण— कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए—

(i) शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिपलेक्टिव होते हैं और रसायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं।

(ii) शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

(iii) सर्जिकल फेस मास्क/रेस्परेटर जो धूल, धुं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

(iv) सेफ्टी टॉर्च

(v) भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं।

(vi) संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छीटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

(vii) टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है।

(viii) छुबारा इस्तेमाल होने वाला इयर प्लग, जो एक लचीले बैड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरो के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।

(ix) आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट Q

(x) गैस मॉनीटर

(xi) हेड लैप

(xii) गाइड पाइप सेट

(xiii) सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

(xiv) वेडर बूट

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम

(xvii) रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खंड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर निगम/नगर पालिका परिषद.....

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1 निकाय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण,

परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम (श्री/सुश्री) :.....

2. पता :

3. पंजीकृत कार्यालय का पता

4. टेलीफोन नम्बर, (कार्यालय)

(मो0)

ईमेल आईडी

फीकल स्लज एवं
सेप्टेज निकालने वाले
ऑपरेटर ठेकेदार का
निकाय मोहर के साथ
एक पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकाएं

12

संख्या	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउटेड या ट्रक माउटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरो/टैंकर की क्षमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है।	टिप्पणी।
(i)						
(ii)						
(iii)						
(iv)						

7- लाईसेन्स की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण,

नकद

(रसीद संख्या)

8- संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हाँ/नहीं)

दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हाँ/नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की संख्या	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नको की संख्या-

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गयी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विष्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाईसेन्स के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक-

नियम और शर्तें

1- फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाईसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2- निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/सम्पत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4— लाईसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5— फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6— अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट षोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाईसेन्स की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8— वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग से सावधानी के साथ "Sptic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखा होगा।

9— निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09.00 बजे प्रातः से सायं 06.00 बजे तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10— प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाईसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11— उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाईसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

(खंड 6 (V) और 8 देखें)

लाईसेंस प्रारूप

नगर निगम/नगर पालिका परिषद.....

फॉर्म 2 फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई

और निस्तारण हेतु लाईसेंस प्रदान करना

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में फीकल स्लज एवं सेप्टेज

के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है—

1. आवेदक का नाम (श्री/सुश्री)

2. पत्राचार का पता

3. निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाईसेंस संख्या

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं

4. मान्यता से तक

5. वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नम्बर (i)
 (ii)
 (iii)
 (iv)

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जहारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/सम्पत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट षोडन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग से सावधानी के साथ "Sptic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुड अपषिष्ट" (हिन्दी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों पर 09.00 बजे प्रातः से सायं 06.00 बजे तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खंड 13 (ii), 20(ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3 फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक..... समय.....

(i) ऑनलाईन सिस्टम के मालिक का विवरण

नाम.....

पता.....

(क) वार्ड संख्या

(ख) मोबाईल नम्बर

(ii) रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष
2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY)
3. आउटलेट मौजूद (हाँ/नहीं)
4. यदि हाँ तो किससे जुड़ा है
5. रोकथाम के प्रकार (चेक बॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुने)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिवन		ट्विन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गडढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाईनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें
7. सम्पत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुने)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

(i) कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)
2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय
3. ट्रिप की लम्बाई (किमी)
4. आने जाने में समय

(ii) कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम

ड्यूटी पर खाली स्टाफ एफएसएसटीपी ऑपरेटर

ड्यूटी पर टेक सफाई स्टाफ के

हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का

हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i) और 27(ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4 “होस्ट यूएलबी” पर उपलब्ध “उपचार संयंत्र” में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत एक्सवायजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरो, सार्वजनिक/सामुदायिक षौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी षर्तें पूरा करने के लिए, “होस्ट यूएलबी” (नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर) के प्रशासन के तहत “उपचार संयंत्र” पर समझौता।

प्रथम पक्ष “होस्ट यूएलबी” (नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर)

द्वितीय पक्ष “एक्सवायजेड यूएलबी” (सम्पर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध—

1. यह कि “प्रथम पक्ष” दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तथा “द्वितीय पक्ष” की प्रशासनिक सीमाओं से उनके “उपचार संयंत्र” पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2. “प्रथम पक्ष” अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने “उपचार संयंत्र” पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देना।

3. यह कि “द्वितीय पक्ष” समझ के अनुसार “प्रथम पक्ष” को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रुपये देने के लिए सहमत है।

4. यह कि “प्रथम पक्ष” उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5. यह कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6. यह कि “द्वितीय पक्ष” केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर “द्वितीय पक्ष” की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट-8

दंड और जुर्माना

(इन विनियम के खंड 3, 4, 5, 6, 17, 18, 25, 26 और 31 को देखें)

क्रम सं०	विवरण	विनियम	सांकेतिक जुर्माना	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य दण्डात्मक रूप में कार्यवाही)
1	2	3	4	5
			रुपये—	
1.1	नाली/नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित निर्वहन	3	50—100	
1.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	3	50—100	
1.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	3	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	4	50	
2.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	4	50	
2.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	4	15 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बीएनपीपी पंजीकरण के बिना वैक्यूम टैंकों को आपरेट करना	5	50	
3.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	5	50	
3.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	5	15 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

1	2	3	4	5
			रुपये—	
4.1	यातायात नियमों में अनुषंसित वैध, प्रमाणीकरण के बिना वैक्यूम टैंकरों को आपरेट करना	6	50	
4.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	6	50	
4.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	6	15 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	आकस्मिक छलकाव (स्पिलेज) पर ध्यान न देने पर गैर-अनुपालन	17, 18	1,000	
5.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	17, 18	1,000	
5.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	17, 18	1,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
6.1	एफ०एस०एस०टी०पी०/एस०टी०पी० से अनुपचारित एफ०एस०एस०डब्ल्यू० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
6.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
6.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
7.1	नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर द्वारा अधिसूचित स्थान के अलावा अनुपचारित एफ०एस०एस० का निर्वहन	25, 26, 31	1,000	
7.2	लगातार दूसरी बार उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000	
7.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लंघन करना	25, 26, 31	1,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

नोट— जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खंड 37 देखें)

फॉर्म 5 अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकारी के पास

.....(पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम

2. आवेदक का पूरा पता
3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी—
नाम पद
4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी—
5. अपील दायर करने की तारीख
6. सूचना विवरण

(क) संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसकी प्रति संलग्न करें)

सत्यापन

मैं(अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान तिथि

अनुसंलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख—

1.....

2

यहां फाड़े

पावती

संख्या तिथि

अनुसंलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन

स्थान तिथि

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

आदेश से (नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद,

बुलन्दशहर।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बाँदा

24 जून, 2025 ई०

सं० 679/स्वा०वि०/न०पा०परि०बाँदा/2025-26-नगर पालिका परिषद बाँदा द्वारा उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा एवं उसमें दी गयी उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के क्रम में ऑन साइट स्वच्छता के अन्तर्गत घर/भवन प्रतिष्ठान में ऑनलाइन सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, दुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधि बनायी गयी है। फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपविधि बोर्ड बैठक दिनांक 11.10.2024 के साधारण प्रस्ताव संख्या 01 में सर्व सम्मति से स्वीकार होने उपरान्त कार्यालय रिपोर्ट 14.11.2024 एवं आपके अनुमोदन उपरोक्त के अनुसार इस कार्यालय के पत्र सं० 1367 दिनांक 22.11.2024 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण कानपुर के अंक दिनांक 29.11.2024 व दैनिक भास्कर झाँसी के अंक दिनांक 29.11.2024 में अधिसूचना का प्रकाशन कराकर आम जनमानस/समाजिक संस्थाओं से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, परन्तु अद्यावधि तक इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। फलस्वरूप गजट प्रकाशन की तिथि से उपविधि लागू मानी जायेगी।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद, बाँदा की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसिया शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद, बाँदा भवनों पर लागू होगा।

प्राधिकार: ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है :

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019
- (ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग) सीपीएचईआईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013
- (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013
- (च) आईएस कोड 2470 भाग I और II 1985 (1996 रीअफर्म्ड) सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिये कार्य व्यवहार संहिता
- (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता सम्बन्धी, जैसे कि यू०पी० जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

अध्याय-1

प्रारम्भिक-

1- लघु-शीर्षक और प्रारम्भ-

- (i) इन उपविधि को बाँदा फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन (एफ० एस०एस० डब्ल्यूएम०) उपविधि, 2024 कहा जायेगा।

(ii) ये उपविधि, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से नगर पालिका परिषद बाँदा की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2-परिभाषाएँ—

(i) एक्सेस कवर से तात्पर्य है—निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिये ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था (ओ०एस०एस०) तक पहुंच के लिये प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपर्युक्त ढक्कन,

(ii) नगर पालिका पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से तात्पर्य है—राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिये विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर जिसका नगर पालिका परिषद बाँदा द्वारा फीकल स्लज एवं सैप्टेज (एफ०एस०एस०) के ही स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिये निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो,

(iii) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डी०डब्ल्यूडब्ल्यू०टी०) एक ऐसी एप्रोव है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-अलग पड़े सामुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सजून स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान पुनः उपयोग शामिल है। डी०डब्ल्यूडब्ल्यू०टी० से अपशिष्ट जल के तरल ठोस, दोनों भागों को उपचार किया जाता है।

(iv) निर्दिष्ट अधिकारी से तात्पर्य, स्वयं अधिशाषी अधिकारी अथवा नगर पालिका का ऐसा अधिकारी, खाद्य एवं सफाई निरीक्षक, कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक आदि, जिसे अधिशाषी अधिकारी द्वारा लाईसेन्स जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिये अधिकृत किया गया है।

(v) डी-स्लजिंग से लाईसेन्स प्राप्त ऑपरेटर अथवा नगर पालिका परिषद बाँदा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा ओ०एस०एस० से एफ०एन०एस० को खाली करने का काम अभिप्रेत है।

(vi) निपटान से एफ०एस०एस० का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रभावित करना/ले जाने का कार्य अभिप्रेत है।

(vii) उत्प्रवाही किसी ओ०एस०एस० से श्रावित द्रव्य है। सैप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है।

(viii) फीकल स्लज से ओ०एस०एस० की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर शहर और शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएँ भण्डारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, ओ०एस०एस० में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पेटर्न से प्रभावित होती है।

(ix) फीकल स्लज व सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एफएसएसटीपी) सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिये ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिये एक स्वतंत्र एफएसएस ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एसटीपी) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहां फीकल स्लज/सैप्टेज को सीवेज के साथ को ट्रीट किया जाता है।

(ix) लाइसेंस से तात्पर्य है—किसी व्यक्ति को दी गयी लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें नगर पालिका परिषद बाँदा निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

(xi) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर से तात्पर्य है—डी- स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफएसएस के परिवहन के लिये लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति।

(xii) अधिसूचित स्थान से तात्पर्य है एफएसएस पहुंचने और निपटान का स्थान जिसे नगर पालिका परिषद बाँदा द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है।

(xiii) ऑनलाइन स्वच्छता व्यवस्था (ओएसएम) ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्था जिसमें मल-मूत्र एकत्रितध्नीट किया जाता है जहां उत्पन्न होता है।

(xiv) प्रचालक से तात्पर्य है—एफएसएस के डी—स्लजिंग परिवहन या ट्रीटमेंट करने वाला व्यक्ति।

(xv) व्यक्ति प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेन्सी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कम्पनी, व्यक्तियों का एक संगठन या व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या न हो।

(xvi) शेडयूल्ड की स्लजिंग सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन (सीपीए चईईओ) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(xvii) सेप्टिक टैंक से डी—स्लज किया गया फीकल स्लज है।

(xviii) सीवेज अपशिष्ट जल है जिसे सीनवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है।

(xix) सीवर से तात्पर्य है—समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करायी गयी भूमिगत पाईपलाइन।

(xx) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से तात्पर्य है वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है।

(xxi) कार्यबल से तात्पर्य है—शहर में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाँदा की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल। समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है।

(xxii) नगर पालिका के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी से तात्पर्य है— नगर पालिका परिषद बाँदा के स्वामित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफएसएस क डी—स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिये नगर पालिका सेवारत/ अनुबंधित कर्मचारी।

(xxiii) परिवहन से तात्पर्य है—नगर पालिका पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफएसएस को डी—स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना।

(xxiv) ट्रीटमेंट से तात्पर्य है—प्रदूषण को कम करने या उसकी रोक थाम के लिये एफएसएस/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने लिये बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया।

(xxv) वैक्यूम टैंकर एक ऐसा वाहन है जिसमें एफएसएस को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिये बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी—स्लज किये गये एफएसएस के परिवहन के लिये भी किया जाता है।

(xxvi) अपशिष्ट जल से तात्पर्य है—घरेलू /व्यावासायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ—सफाई की गतिविधि शामिल है किन्तु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं है। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिये बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है।

इन उपविधिया में प्रयुक्त और इन उपविधिया में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किन्तु समय—समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों में क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर, उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/ निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय—II**अपशिष्ट जल प्रबंधन—**

3—परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्

(i) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सैप्टिक टैंक से जोड़े।

(ii) अपशिष्ट जल को नगर पालिका परिषद बाँदा द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(iii) जिस संपत्ति से प्रति दिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डीडब्ल्यूडब्ल्यू टी संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सके। संपत्ति मालिक (मालकिन), ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फलशिंग के लिये पुन उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) परिसर का अपशिष्ट जल ओएसएस में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउटलेट ना हो।

अध्याय—III**ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं—****4—ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव—**

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय—समय पर यथा आशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सीपीएचईईओ के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पालिका या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ii) ओएसएस से जुड़ी संपत्ति मालिक /धारक, उससे निकलने वाले एफएसएस की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिये उत्तरदायी होगा।

(iii) परिसर का मालिक/धारक नगर पालिका द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2—3 वर्ष) में डी स्लजिंग अनिवार्य रूप से करायेगा, अन्यथा स्थिति में रु० 5000—आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा।

(iv) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओएसएस में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफएसएस के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुये ओएसएस को यात्रित रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिये कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(vi) नगर पालिका या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर—अनुपालन के लिये परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिसर के मालिक/धारक को एक समय—सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल रलज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (एफएसएसडब्ल्यू) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग ६ गैर—अनुपालन में सुधार करने के लिये नोटिस जारी कर सकती है।

(vii) नगर पालिका अपने विवेक से, संपत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिये प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-IV

एफएसएस के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग-

5-नगर पालिका द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना-

(i) नगर पालिका निजी ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराये पर लिए वैक्यूम टैंकरो पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में बाँदा शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ii) नगर पालिका अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिये इन्फार्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन (आईईसी) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफएसएस को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिये संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iii) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन उपविधिया के प्रपत्र 1 का उपयोग करते हुये इसके लिये आवेदन करेगा (करेगी)। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 2 महीने के भीतर किया जायेगा।

(iv) नगर पालिका परिषद बाँदा एफएसएस को ही स्लज करने और इसके परिवहन के लिये ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v) लाइसेंस इन उपविधिया के प्रपत्र 2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान आधार पर होगा।

(vi) नगर पालिका परिषद बाँदा आवेदक के स्वामित्व या किराये पर लिये गये वैक्यूम टैंकों को पंजीकृत करेगी। नगर पालिका अपनी संतुष्टि के लिये वाहन का निरीक्षण करेगी। नगर पालिका उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में नगर पालिका मानते हैं कि इन विनियमों के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा है।

6-लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड-

(i) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित व्यक्ति है।

(ii) आवेदक के पास उचित वैक्यूम /सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराये पर होना/होने चाहिए।

(iii) बाँदा में परिचालन किये जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक नगर पालिका परिषद बाँदा के साथ अपने अपने वैक्यूम टैंकों को पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराये पर लिए गये वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक नगर पालिका अथवा नगर पालिका द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिये श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफएसएस के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पीपीई इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7-लाइसेंस के लिए आवेदन-

एफएसएस के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन उपविधिया के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और नगर पालिका के निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

8-लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आवेदकों को आमंत्रण-

नगर पालिका अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, सम्भावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

9-लाइसेंस के लिये आवेदन शुल्क-

नगर पालिका लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क प्रभावित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा नगर पालिका के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10-परफॉरमेंस गारंटी-

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि नगर पालिका द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो। जिसे उपविधिया के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जाएगा।

11-लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार-

नगर पालिका समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12-जागरूकता अभियान-

नगर पालिका इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलायेगी, साथ ही साथ एफएसएस को ही स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-V

एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन-

13-संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा-

(i) एफएसएस की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए नगर पालिका के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पालिका के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक

मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा (करेगी) कि डी-स्लजरो को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन उपविधिया के प्रपत्र 3 में निर्धारित एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा (करेगी)।

14-एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क-

(i) एफएसएस की डी-स्लज करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को नगर पालिका के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) नगर पालिका शहर में शेडयूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को सैनिटेशन चार्ज, द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर नगर पालिका द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर नगर पालिका द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा (करेगी)।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनायेगा और इन उपविधिया के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15-एफएसएस के परिवहन के लिए वाहन-

(i) एफएसएस को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पालिका के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा ही डी-स्लज एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जायेगा।

(ii) वैक्यूम टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हो। ऐसे मामलों में, संबंधित ऑपरेटर को इस निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii) एफएसएस के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर नगर पालिका द्वारा चिन्हित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन पर नगर पालिका द्वारा जारी किये गये ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(v) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में "सेप्टिक टैंक वेस्ट" (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जाएगा।

(vi) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और नगर पालिका परिषद, बांदा द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिए जायेंगे।

16-परिवहन के दौरान सावधानियाँ-

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा (करेगी) कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव / छलकाय नहीं हो।

17-दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्मक उपाय-

एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

18— दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता—

किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन सम्पत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा (होगी), और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति /मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) यदि इसे किसी प्राधिकरण /न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19—तैनात कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय—

लाइसेंस प्राप्त आपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चलित गैस—डिटेक्टर, गैस—मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन—मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन उपविधिया के साथ—साथ हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 में तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20—एफएसएस का निपटान—

(i) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय समय पर नगर पालिका परिषद, बाँदा द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफएसएस का निपटान करेगा (करेगी)

(ii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफएसएस की डी—स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकार्ड फार्म नगर पालिका परिषद, बाँदा के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा (करेगी)।

21— कर्मियों का प्रशिक्षण—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफएसएस के डी—स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा (होगी)।

22—कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच—

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा (होगी) कि प्रत्येक कर्मी की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम से कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख नगर पालिका परिषद, बाँदा को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना /अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा की समय—समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23— बीमा—

एफएसएस को डी स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों /उनके कानूनी वारिसों को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम—2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या—583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जाएगा।

24— लाइसेंस रद्द करना—

इन उपविधिया सहित “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम—2013” के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी), जैसा कि समय—समय पर अधिसूचना किया गया हो. जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफार्मेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय—VI

एफएसएसडब्ल्यू के उपचार एवं पुनः उपयोग/निपटान

उपचार/निपटान स्थान (लों) की पहचान—

25—नगर पालिका परिषद, बांदा ऐसे स्थानों की पहचान करेगा और अधिसूचित करेगा, जहां एफएसएसडब्ल्यू की लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या नगर पालिका परिषद, बांदा के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार /निपटान किया जायेगा।

26—एफएसएसडब्ल्यू की प्राप्ति हेतु अशोसरचना का सृजन—

नगर पालिका परिषद, बांदा आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगा और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गये एफएसएसडब्ल्यू के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

27— एफएसएस प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती—

प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर एफएसएस प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानान्तरित करने हेतु नगर पालिका परिषद, बांदा पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगा।

28—एफएसएस प्राप्ति का समय—

नगर पालिका परिषद, बांदा द्वारा समय समय पर अधिसूचित घण्टे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर नगर पालिका परिषद, बांदा के तैनात कर्मियों द्वारा एफएसएस प्राप्त किया जाएगा।

29— औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए—

औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफएसएस को अधिसूचित स्थानों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

30—एफएसएसएम में प्रशिक्षण—

नगर पालिका परिषद, बांदा द्वारा अधिसूचित स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफएसएस प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

31— उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का पुन उपयोग—

(i) नगर पालिका परिषद, बांदा किसानों को अनुपचारित एफएसएसडब्ल्यू के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी, और एफएसएसटीपी से उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ii) नगर पालिका परिषद, बांदा शहर में डीडब्ल्यूटी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्ताव परियोजना के आस-पास के क्षेत्र (1 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए नगर पालिका परिषद, बांदा से परामर्श करेगा।

अध्याय—VII

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

32— प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन—

(i) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशाषी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है। जिन्हें विधिवत तौर पर

अधिशायी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है—

(ii) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद, बांदा समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33—निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार—

इन उपविधिया के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद, बांदा के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34— उल्लंघन और दंड—

(i) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा (होगी), यदि ऐसा व्यक्ति

(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।

(ख) इन उपविधिया के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गए अधिकार के तहत कार्य करने वाले नगर पालिका परिषद, बांदा के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है

(ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिए हाथ से किए जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और सम्बन्धित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दण्डित किया जाएगा, और साथ ही एफएसएस परिवहन वाहन, एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा या सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(iv) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपये (रु) 5000) के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु० 1000) प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जाएगा।

(v) संदेह के समाधान के लिए एतद्वारा घोषित किया जाता है कि इन उपविधिया में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य सम्बन्धित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दण्डित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35— अपील—

कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत नगर पालिका परिषद, बांदा के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो अधिशायी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता (सकती) है (इन उपविधिया के प्रपत्र 4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशायी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मण्डलायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की गयी थी।

36— विवाद समाधान उपलब्ध—

कोई भी विवाद जो इन उपविधिया के संचालन के सम्बन्ध में उठाया गया हो उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल झाँसी शहर होगा।

37— संदर्भ दस्तावेज—

नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिए, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किए गए मानको, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है

क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

38— राज्य सरकार के निर्देश इन उपविधियों के पूरक होंगे—

राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने लिए एफएसएसडब्ल्यूएम के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकता है।

परिशिष्ट—1

(खंड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 भाग 1, 1985) सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदंड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इन्स्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयू के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खंड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन—

- (1) आयताकार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात: 2 से 4
- (2) गहराई: 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- (3) दो कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का 2/3
- (4) तीन कक्ष: पहला कक्ष कुल लंबाई का आधा
- (5) मशीन छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- (6) निर्विवाद टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी)
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1—सेट्रिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेट्रिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1). 1985 देखें।

नोट 2—प्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत—सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल भाग ए: इंजीनियरिंग सीपीएचईओ, 2012

परिशिष्ट—2

खंड 14 (i) और 5 (iii) देखें

नगर पालिका परिषद्, बाँदा में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए
उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फ्रीस) की सूची (अनुमानित)

क्र.सं.	श्रेणी	रु० में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	2	3
1	कच्चा घर/झोपड़ी	1500
2	टिन शेड प्रकार का घर	1500
3	सभी अन्य घर (पक्का घर)	2500
4	दुकान	2500
5	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	2500
6	बैंक	2500
7	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	2500
8	रेस्टोरेंट	2500
9	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2500
10	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2500
11	होटल गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	2500
12	धर्मशाला (1) से 25 कमरे	2500
13	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	3500
14	3—स्टार होटल	3500
15	5—स्टार होटल	2500
16	सरकारी स्कूल कॉलेज (1000 छात्र तक)	2500

1	2	3
17	सरकारी स्कूल कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	2500
18	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2500
19	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2500
20	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2500
21	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2500
22	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2500
23	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2500
24	मल्टीप्लेक्स	2500
25	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	2500
26	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2500
27	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2500
28	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	2500
29	विवाह हॉल / बैंकेट हॉल	3500
30	बार	2500
31	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	2500
32	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2500
33	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	2500
34	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2500
35	पेथलॉजिकल लैब	2500
36	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2500
37	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2500
38	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	2500
39	राइस मिल/अन्य मिल	3500
40	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3500
41	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	3500

नोट 1—उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय समय पर संशोधन किया जा सकता है।

परिशिष्ट—3

सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों की सूची—

कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुरक्षात्मक गियर तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जायें—

(i) शारीरिक सुरक्षा परिधान, जो मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं। जो प्रतिबिंबित होता और रासायनिक स्प्लैश प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

(ii) सेफ्टी बॉडी हार्नेस/सेफ्टी बेल्ट

(iii) सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर्स, जो धूल, धूर, धुंध, माइक्रोअर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(iv) सेफ्टी टार्च।

(v) भारी रसायन प्रतिरोध हाथ के दस्ताने जो ब्यूटाइल से बने होते हैं और यांत्रिक सुरक्षा और खतरनाक सामग्री के छलकाव से सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त तौर पर फायदेमंद होते हैं।

(vi) सेफ्टी गॉगल्स (सुरक्षात्मक चश्मे) जिनमें रासायनिक छीटे झेलने की क्षमता के साथ संक्रामक पदार्थों को आखों तक पहुंचने से बचाने की क्षमता होती है।

(vii) सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जिसमें एक टार्च लगी होती है और जो कम प्रकाशित स्थानों में कार्य करने में सहायक हो।

(viii) पुनः उपयोग किया जाने वाला इयरप्लग, जो प्रमुख तौर पर एक लचीली पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे जरूरत न होने पर गर्दन पर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन से बने होते हैं।

और ये वैक्यूम टैंकरों के ऑपरेशन के दौरान सहायक होते हैं, जहां औसत ध्वनि स्तर B5dBa से अधिक होती है।

(ix) इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सिजन रिससकिटेटर किट

(x) गैस मॉनिटर

(xi) हेड लैम्प

(xii) गाइड पाइप सेंट

(xiii) सुरक्षा ड्राईपॉड सेट।

(xiv) वेडर बूट्स।

(xv) एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

(xvi) मॉड्यूलर एयरलाइस आपूर्ति ट्रॉली सिसटम

(xvii) रेनकोट

परिशिष्ट-4

फार्म-1 नगर पालिका परिषद, बांदा में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस आवेदन-पत्र

तिथि.....

समय.....

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।
- 2 निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
- 5 फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" अंग्रेजी में) और मलकुंड अपशिष्ट (हिंदी में) लिखा होगा।
9. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
10. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4-“होस्ट यूएलबी” पर उपलब्ध “उपचार संयंत्र” में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाइजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक /सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, “होस्ट यूएलबी” (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत “उपचार संयंत्र” पर, समझौता।

प्रथम पक्ष “होस्ट यूएलबी” (होस्ट निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष “एक्सवाय जेट यूएलबी” (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध

1. यह कि “प्रथम पक्ष” दिनांक दिन महीना वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन महीना वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक “द्वितीय पक्ष” की प्रशासनिक सीमाओं से उनके “उपचार संयंत्र” पर जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। वर्ष (अंतिम तिथि)
2. “प्रथम पक्ष” अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने “उपचार संयंत्र” पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि “द्वितीय पक्ष” समझ के अनुसार “प्रथम पक्ष” को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. xxx देने के लिए सहमत है।
4. यह कि “प्रथम पक्ष” उपचार सुविधा के संचालन का समय अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।
5. कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई की दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाये।
6. कि “द्वितीय पक्ष” केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।
7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर “द्वितीय पक्ष” की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खंड संख्या	संकेतिक फाइन सीमा (रु0 में)	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	50 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16, 17	1000	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	5000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1000 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	150 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, बांदा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद् दादरी, (गौतमबुद्धनगर)

विज्ञप्ति

दिनांक : 25 अगस्त, 2025

सं0-622/न0पा0परि0दा0/जलकल/2025-26-उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पालिका परिषद्, दादरी (गौतमबुद्धनगर) की सीमान्तर्गत स्थित घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण हेतु 'फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2025' का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव 15 दिनों के भीतर आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों दैनिक जागरण के अंक दिनांक 15.07.2025 एवं अमर उजाला के अंक दिनांक 15.07.2025 में प्रकाशित कराया गया, किन्तु निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उक्त प्रस्तावित उपविधि को पालिका बोर्ड के प्रस्ताव सं0-02 (10), दिनांक 27.05.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार अन्तिम रूप प्रदान करते हुये निम्नलिखित उपविधि को प्रकाशित किया जाता है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा -

नगर पालिका परिषद्, दादरी (गौतमबुद्धनगर) की फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि 2025

प्राधिकार: ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है:

- (क) उत्तर प्रदेश, राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019
- (ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017
- (ग) सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013
- (घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि
- (ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट - 2013
- (च) आई0एस0 कोड 2470 भाग I और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड) - सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता।
- (छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू.पी. जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008, तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)

ये उपविधि नगर पालिका परिषद्, दादरी (गौतमबुद्धनगर) की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद्, दादरी (गौतमबुद्धनगर) के भवनों पर लागू होगा।

अध्याय—I

प्रारंभिक

1. संक्षेप — शीर्षक, विस्तार और आरंभ

- (i). इन उपविधियों को 'नगर पालिका परिषद् दादरी (गौतमबुद्धनगर) की फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) उपविधि, 2025' कहा जा सकता है।
- (ii). ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से क्रियान्वित होंगे और 'नगर पालिका परिषद् दादरी (गौतमबुद्धनगर)' की प्रशासकीय परिसीमा के अंदर लागू होंगी।

2. परिभाषा

- (i). "एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो;
- (ii). "अपेलेट बॉडी" निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और या, कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है;
- (iii). "फीकल स्लज या सेप्टेज का ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एस0टी0पी0) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का भी उपचार किया जाता है;
- (iv). "को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;
- (v). "विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (D.W.W.T.) प्रणाली— का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं;
- (vi). "नियुक्त अधिकारी" नगर पालिका परिषद्, दादरी का ऐसा अधिकारी जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;
- (vii). "डिस्लजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;
- (viii). "निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;
- (ix). "एफ्लूयंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);
- (x). "फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;
- (xi). "फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.T.P.) का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;
- (xii). "ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

- (xiii). **"होस्ट यू0एल0बी0"** का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है;
- (xiv). **"ईनसैनिटरी लेट्रिन्स"** का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;
- (xv). **"लाइसेंस"** का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;
- (xvi). **"लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर"** (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;
- (xvii). **"अधिसूचित स्थान"** का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;
- (xviii). **"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओ0एस0एस0)"** ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं;
- (xix). **"ऑपरेटर"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;
- (xx). **"मालिक"** का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;
- (xxi). **"व्यक्ति"** का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;
- (xxii). **"सैनिटरी लेट्रिन्स"** का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओ0एस0एस0 अथवा भूमिगत सीवरेंज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;
- (xxiii). **"सेप्टिक टैंक"** भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आई0एस0 कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- (xxiv). **"शेड्यूल्ड डीस्लजिंग"** का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0) की अनुशंसाओं के आधार पर 2 – 3 वर्षों के अंतराल पर ओ0एस0एस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।
- (xxv). **"सेप्टेज"** का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।
- (xxvi). **"सीवेज"** का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

- (xxvii). **"सीवर"** वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।
- (xxviii). **"सीवेज पम्पिंग स्टेशन"** का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।
- (xxix). **"सीवेज उपचार संयंत्र"** का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।
- (xxx). **"निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी"** का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।
- (xxxi). **"परिवहन या ढुलाई"** का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफ0एस0एस0) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।
- (xxxii). **"उपचार"** का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफ0एस0एस0/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।
- (xxxiii). **"उपचार सुविधा"** का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल।
- (xxxiv). **"एस0यू0एल0बी0 क्लस्टर"** का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यू0एल0बी0/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफ0एस0 के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एम0ओ0यू0 की आवश्यकता होगी।
- (xxxv). **"निकाय पंजीकृत वैक्यूम टैंकर"** का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।
- (xxxvi). **"निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)"** ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।
- (xxxvii). **"अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर"** का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।
- (xxxviii). **"कर्मी"** का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय – II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3. परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अभिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

- (i) यदि घर की सीमा से सीवर लाइन 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए तत् समय नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा करे।
- (ii) अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।
- (iii) यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या टिवन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आई0एस0 कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं।
- (iv) वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन 10 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर 2000 वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/ फलशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय – III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4. मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन

निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे:

उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5. ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव

- (i). ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आई0एस0 कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद्, दादरी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।
- (ii). ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओ0एस0एस0 से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

- (iii). परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट-2 में सुझाया गया है)।
- (iv). परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोष पूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।
- (v). परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, दादरी के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।
- (vi). नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद्, दादरी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद्, दादरी समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।
- (vii). नगर पालिका परिषद्, दादरी अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय – IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6. निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस

- i. नगर पालिका परिषद्, दादरी वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।
- ii. नगर पालिका परिषद्, दादरी अपने कर्मियों सहित ओपरेटरों के लिए आई0ई0सी0 और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहाँ उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।
- iii. जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म-1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- iv. नगर पालिका परिषद्, दादरी ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
- v. इन विनियमों के फॉर्म-2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7. लाइसेंस जारी करने की शर्तें

- i. लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2 (xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।
- ii. आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।
- iii. निकाय में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।
- iv. आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद्, दादरी के साथ पंजीकृत करेगा।
- v. आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।
- vi. आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद्, दादरी या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मि पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।
- vii. आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पी0पी0ई0 इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8. लाइसेंस के लिए आवेदन

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफ0एस0एस0 का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म-1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9. लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण

लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10. लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क

नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1 पंजीकरण के शुल्क और वैधता

- (i) ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु.-2500/-
- (ii) पंजीकरण की वैधता: पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम-01 वर्ष तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(iii) लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क: रु-1500/-

11. लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन

नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा समय-समय पर अपने विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यम जैसे —प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12. जागरूकता अभियान

इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

अध्याय — V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13. संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा

- (i) भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद्, दादरी के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।
- (ii) मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क

- (i) समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।
- (ii) शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
- (iii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर संपत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।
- (iv) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन

- (i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, दादरी के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।
- (ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 02 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।
- (iii) डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

- (iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद्, दादरी वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।
- (v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) “Septic tank waste” (अंग्रेजी में) और “मलकुंड अपशिष्ट” (हिंदी में) या शासन द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिखा होगा।
- (vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार (अधिकांसी अधिकारी) और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16. ढुलाई के दौरान सावधानी

लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17. दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय

फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18. दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी

किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19. नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा – उपाय

हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20. फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण

- (i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।
- (ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म-3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।
- (iii) होस्ट यू0एल0बी0 ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यू0एल0बी0 क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करें।

21. निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार

- (i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यू0एल0बी0 बन जाएगा।

- (ii) नगर पालिका परिषद्, दादरी होस्ट यू0एल0बी0 से जुड़े यू0एल0बी0 क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।
- (iii) नगर पालिका परिषद्, दादरी वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।
- (iv) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा किया जाएगा।
- (v) होस्ट यू0एल0बी0 अन्य क्लस्टर यू0एल0बी0 या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।
- (vi) एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यू0एल0बी0" को लगे कि क्लस्टर यू0एल0बी0/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यू0एल0बी0 कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22. निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य

- (i) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस निकाय का नाम) होस्ट यू0एल0बी0 के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यू0एल0बी0 के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यू0एल0बी0 का सदस्य बनेगा।
- (ii) निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।
- (iii) यदि निकाय होस्ट यू0एल0बी0 के क्लस्टर यू0एल0बी0 की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।
- (iv) नगर पालिका परिषद्, दादरी विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।
- (v) होस्ट यू0एल0बी0 संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।
- (vi) यदि "होस्ट यू0एल0बी0" की क्षमता क्लस्टर यू0एल0बी0 के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद् दादरी को एक नए "होस्ट यू0एल0बी0" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23. कर्मियों का प्रशिक्षण

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24. कर्मियों का नियमित स्वास्थ्य जांच

यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25. बीमा

लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27-03-2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26. लाइसेंस रद्द किया जाना

इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय VI**फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण****27. उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान**

- (i) नगर पालिका परिषद्, दादरी उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, दादरी के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।
- (ii) उपचार सुविधा के अभाव में, नगर पालिका परिषद्, दादरी, आस पास के होस्ट यू0एल0बी0 जिसमें सुचारु उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट-7)
- (iii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद्, दादरी के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यू0एल0बी0" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण

नगर पालिका परिषद्, दादरी जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति

- (i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यू0एल0बी0)
- (ii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यू0एल0बी0" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यू0एल0बी0 का हिस्सा हैं)

30. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय

[निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यू0एल0बी0) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर (निकाय (या होस्ट यू0एल0बी0 लागू हो)) द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31. औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है

अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण

नगर पालिका परिषद्, दादरी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33. उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल

निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय VII**प्रशासन और प्रवर्तन****34. प्रशासन और प्रवर्तन**

- (i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ (अधिशाली अधिकारी) अथवा अधिशाली अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।
- (ii) नगर पालिका परिषद्, दादरी फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।
- (iii) नगर पालिका परिषद्, दादरी शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- (iv) नगर पालिका परिषद्, दादरी फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमरजेंसी रिसर्पोंस सैनिटेशन यूनिट (ई0आर0एस0यू0), नियुक्त करेगा।

35. जांच के लिए विशेष शक्ति

- (v) इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद्, दादरी के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36. नियम उल्लंघन और जुर्माना

- (i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

- (ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति – (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओ0एस0एस0/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।
- (iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफ0एस0एस0 निकासी/ढोने के वाहन भी ज़ब्त हो सकता है।
- (iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति/फर्म/संस्था आदि को पाँच हजार भारतीय रुपये (रु0 5,000.00) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और जिसके पास निरन्तर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000.00) प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।
- (v) संदेह के समाधान के लिए, एतद् घोषित किया जाता है, कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दण्डनीय किया गया है।

37. अपील

निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म-5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)। किसी निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील करने के लिए समय सीमा 30 दिन होगी।

38. विवाद समाधान उपविधि

इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल नगर पालिका परिषद्, दादरी के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39. फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन

मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40. संदर्भ प्रलेख

उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा-निर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41. उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश

इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xxiii), खण्ड 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बी.आई.एस. कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग-1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओओएचयूओ के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मल-जल उपचार पर मैनुअल के भाग-ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाईलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन

- आयताकार : लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात : 2 से 4
- गहराई : 1.0 से 2.5 मी. के बीच
- दो कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का $2/3$
- तीन कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी०)	चौड़ाई (मी०)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल 02 वर्ष) (मी०)
1	2	3	4
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1 : सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल-प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस-2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2 : फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

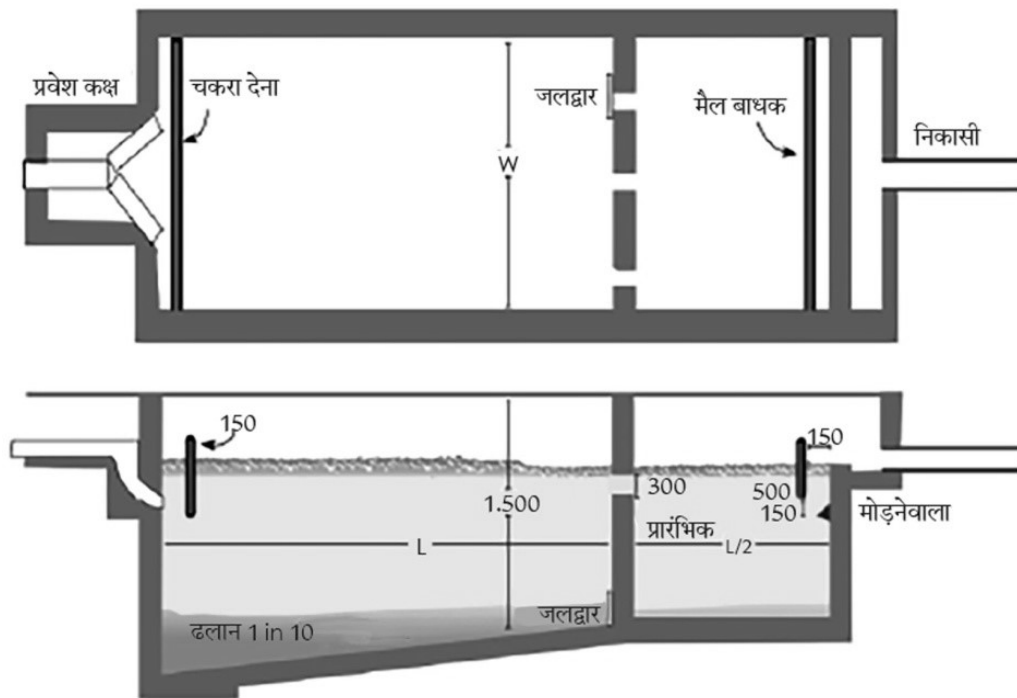
स्रोत :- सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल — भाग ए : इंजीनियरिंग। सीपीओएचईओओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता

टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दुएं हैं :

- **अवसादन (सेडीमेंटेशन) :** निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आमतौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- **फीकल स्लज डाइजेशन :** डेएजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- **फीकल स्लज और मल भण्डारण :** फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता $0.0002 \times 365 = 0.073 \text{ m}^3/\text{कैपिटा}$ की आवश्यकता होती है।
- **फ्री बोर्ड :** कम से कम 0.3 मी.

सेप्टिक टैंक का डिजाइन



सभी माप मिलीमीटर में (मिमी)

स्रोत: सीवरेज और सीवेज उपचार पर मैनुअल - भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईओ, 2012

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद्, दादरी में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर-फीस) की सूची :-

क्र० सं०	श्रेणी	भारतीय रुपये में शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3,000 लीटर तक)
1	2	3
1	कच्चा घर/झोंपड़ी	350
2	टिन शेड प्रकार का घर	750
3	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1,200
4	दुकान	1,500
5	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1,800
6	बैंक	2,000
7	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800
8	रेस्टोरेंट	2,000
9	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2,000
10	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,500
11	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,000
12	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1,200
13	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1,800
14	3-स्टार होटल	2,800
15	5-स्टार होटल	3,500
16	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1,000
17	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	1,200
18	निजी स्कूल/कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1,800
19	निजी स्कूल/कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	2,500
20	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1,800
21	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,800
22	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,500
23	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3,500
24	मल्टीप्लेक्स	2,000
25	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1,800
26	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,200
27	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2,500
28	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,000
29	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	2,500

1	2	3
30	बार	2,500
31	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1,800
32	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2,800
33	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1,800
34	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,200
35	पैथलॉजिकल लैब	1,500
36	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,500
37	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2,500
38	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3,500
39	राइस मिल/अन्य मिल	2,000
40	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,000
41	अन्य (निकाय सीमा के अन्तर्गत)	2,000

- नोट : 1. उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र-फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।
2. उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3,000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खंड: 7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण

कार्य-स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए:-

- शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं
- शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट
- सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरैटर जो धूल, धुएं, धुन्ध और जीवाणुओं आदि से बचाता है
- सेफ्टी टॉर्च
- भारी रासायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं
- संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

- (vii) टॉर्च के साथ लगे सेफटी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है
- (viii) दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आसपास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है
- (ix) आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट
- (x) गैस मॉनीटर
- (xi) हेड लैंप
- (xii) गाइड पाइप सेट
- (xiii) सेफटी ट्राइपॉड सेट
- (xiv) वेडर बूट
- (xv) एयर कम्प्रेसर और ब्लोअर
- (xvi) मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाय ट्रॉली सिस्टम
- (xvii) रेनकोट
- (xviii) सुरक्षा से सम्बन्धित उक्त के अतिरिक्त अन्य बचाव उपस्कर एवं सुरक्षा उपकरण आदि।

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पालिका परिषद्, दादरी

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1 : निकाय नगर पालिका परिषद्, दादरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम : श्री/सुश्री :
2. पता :
.....
.....
3. पंजीकृत कार्यालय का पता :
4. टेलीफोन नम्बर : (कार्यालय) (मो0) :
- ईमेल आईडी :

फीकल स्लज एवं
सेप्टेज निकालने
वाले ऑपरेटर/
टेकेंदारों का एक
पासपोर्ट साइज का
फोटो चिपकाएं

5.

मल-कीचड़ साफ करने वाले वाहनों का विवरण

स0 न0	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी

7. लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद (रसीद संख्या)

8. संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं):

दस्तावेज के प्रकार	हां /नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं
पहचान प्रमाण		पता प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या:

सत्यापन

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंस रद्द/अन्य कार्यवाही की जाती है, तो मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू0एल0बी0 द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू0एल0बी0 द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू0एल0बी0 द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।
4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ “Septic Tank Waste” (अंग्रेजी में) और “मलकुंड अपशिष्ट” (हिंदी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों (सोमवार-शनिवार) पर 8:00 AM से 5:00 PM तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खंड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पालिका परिषद, दादरी

License for Private Desludging Operator

फॉर्म 2: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना

निकाय नगर पालिका परिषद, दादरी में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस इसके द्वारा अनुमति दी जाती है:

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदारों का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

1. आवेदक का नाम : श्री/सुश्री :
2. पत्राचार का पता :
.....
.....
3. निकाय नगर पालिका परिषद्, दादरी में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्या:
4. मान्यता से तक
5. वाहन/वाहनों का विवरण:

क्र० सं०	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी

यह लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

.....

नियम और शर्तें

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यू०एल०बी० द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।
2. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यू०एल०बी० द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।
3. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यू०एल०बी० द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।
5. फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।
6. अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।
7. फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।
8. वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ “Septic tank waste” (अंग्रेजी में) और “मलकुंड अपशिष्ट” (हिंदी में) लिखा होगा।
9. निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 06 दिनों (सोमवार-शनिवार) पर 8:00 AM से 5:00 PM तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।
10. प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3: फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

नगर पालिका परिषद्, दादरी में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

दिनांक : | समय:

I- ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण

1. नाम:

2. पता:

.....

.....

(क) वार्ड संख्या:

(ख) टेलीफोन नं.:

II- रोकथाम

1. निर्माण का वर्ष 2. पिछला कीचड़ निकालना (MM/YYYY) :.....
3. आउटलेट मौजूद (हां/नहीं): 4. यदि हां, तो किससे जुड़ा है:
5. रोकथाम के प्रकार: (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)

रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
सेप्टिक टैंक टिवन		ट्वीन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		टिवन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6. रोकथाम का आकार और आकार: नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें

7. सम्पत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

III- कीचड़ साफ करना

1. फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)
2. कीचड़ निकालने में लगने वाला समय:
3. ट्रिप की दूरी (किमी):
4. आने-जाने में समय:

IV- कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण

ऑपरेटर का नाम:

ड्यूटी पर FSTP/STP ऑपरेटर:

ड्यूटी पर टैंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यू0एल0बी0 तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4 : "होस्ट यू0एल0बी0" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय नगर पालिका परिषद् दादरी और "होस्ट यू0एल0बी0" (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाइजेड निकाय(संपर्क करने वाले निकायका नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यू0एल0बी0" नगर पालिका परिषद्, दादरी के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यू0एल0बी0" नगर पालिका परिषद्, दादरी, द्वितीय पक्ष "एक्सवाइजेड यू0एल0बी0" (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध:

1. यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (अंतिम तिथि) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)
2. "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत-मात्रा की जानकारी देगा।
3. यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु. परिशिष्ट-02 अन्तर्गत "नोट के बिन्दु" के अनुसार देने के लिए सहमत है।
4. यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत-मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।
5. यह कि उपरोक्त कार्यो को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे।
6. यहकि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।
7. प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम पक्ष—

नगर आयुक्त/अधिकासी अधिकारी का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष—

नगर आयुक्त/अधिकासी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8
जुर्माना और फाइन

क्रम संख्या	विवरण	खण्ड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा (रु० में)	जुर्माना (रु० या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	500	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	1,000	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	100 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	500	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	1000	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	100 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	2000	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	5000	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	500 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1000	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	1500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	300 रु० प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एफएसटीपी/एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	5000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	10000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1500 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकायद्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14,27,28,29	5000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14,27,28,29	10000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14,27,28,29	2000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

नोट :- जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिये। शहर में नगर पालिका परिषद्, दादरी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9**अपील हेतु ज्ञापन**

(खण्ड 37 देखें)

फॉर्म 5: अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास

..... (पदनाम)

1. आवेदक का पूरा नाम:

2. आवेदक का पता:

3. नगर पालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नाम: पद:

4. उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई:

5. अपील दायर करने की तारीख:

6. सूचना विवरण

क. संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

ख. अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

सत्यापन

मैं, ... (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी

एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिये गये विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर

स्थान:

तिथि:

अनुलग्नक के रूप में जमा किये गये प्रलेख:

1.

2.

..... यहाँ से फाड़ें.....

पावती

संख्या..... तिथि:

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन

स्थान:..... तिथि:

अधिकृत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
आदेश से (नगर पालिका परिषद, दादरी)अधिशाली अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर
नगर पालिका परिषद, दादरी।

परिशिष्ट-10**(खंड 40 देखें)****संदर्भित दस्तावेज**

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)
निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है:

1. उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916
2. उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।
4. सलाहकार नोट: शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
5. उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
6. एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश
7. आईएस: 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,
(क) (भाग I) डिजाइन शर्तें और निर्माण
(ख) (भाग II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।
8. सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।
9. बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।
10. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
11. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
12. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।
13. फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।
14. तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।
15. सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
16. सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
17. फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली
18. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

शालिनी गुप्ता,
अधिकांशी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् दादरी
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, दादरी, (गौतमबुद्धनगर)

विज्ञप्ति

दिनांक 14 जुलाई 2025 ई०

सं० 341/न०पा०परि०दा०/क०वि०/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं० 2 सन् 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद् दादरी (गौतमबुद्धनगर) की (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024 का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव तीस दिनों के भीतर आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों दैनिक जागरण के अंक दिनांक 01.06.2025 एवं अमर उजाला के अंक दिनांक 01.06.2025 में प्रकाशित कराया गया, किन्तु निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उक्त प्रस्तावित उपविधि को पालिका बोर्ड बैठक के प्रस्ताव सं० 01, दिनांक 27.05.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार अन्तिम रूप प्रदान करते हुए निम्नलिखित उपविधि को प्रकाशित किया जाता है, जो राजकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा —

नगर पालिका परिषद् दादरी (गौतमबुद्धनगर)

(निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2024

1—संक्षिप्त नाम (1) यह उपविधि नगर पालिका परिषद् दादरी (गौतमबुद्धनगर) (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2024 कही जायेगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद् दादरी (गौतमबुद्धनगर) के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएँ

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर पालिका परिषद् सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो।

(ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाए जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्सारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।

3— निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण

(1) अधिनियम, 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पालिका परिषद् कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा 147 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारण वश कराधान के लिए दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जाएगा।

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा,

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा,

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा

(चार) पंजीकृत दान—पत्र द्वारा,

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा।

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी—

(एक) नगर पालिका परिषद् सीमा में नव सम्मिलित आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति,

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड०ए०) क्षेत्र की सम्पत्ति,

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किए गए सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किए गए परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4—सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया

(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नव निर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पालिका परिषद् द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पालिका परिषद् के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जाएँगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र—1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

4—सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पालिका परिषद् को प्रपत्र-2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर पालिका परिषद् द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू0 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा—

क्र0 सं0	अभिलेख का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख, दानपत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे०पी०जी० प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	✓	✓
4	पंजीकृत विक्रय-विलेख या दान-पत्र/विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	✓	—
5	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	—	—
6	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी०आई०एफ० पी०एन० जी० जे०पी०जी० जे०पी०ई०जी० पी०डी०एफ० प्रारूप में)	✓	—	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी०आई०एफ०), पी०एन०जी० जे०पी०जी० जे०पी०ई०जी०, पी०डी०एफ० प्रारूप में)	—	—	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	—
9	पूर्व में जारी नामान्तरण-पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर पालिका परिषद् द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

4—सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया

(घ) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम-6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जाएगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जाएगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संबंध में प्रारूप-3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जाएगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जाएगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पालिका परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किए जाने पर एक अन्य अक्सर प्रदान करते हुए पुनः एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा:

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियमसम्मत पाए जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुए निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जाएगा और सूची प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण-दोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किए जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किए जाने पर 'अध्यासी' शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जाएगा।

4—सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया

(ग) अध्यासन के आधार पर किए गए कर निर्धारण के विषय में वार्ड-वार कर निर्धारण सूची पृथक् से तैयार की जाएगी और उसी में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जाएगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5—हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जाएगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हों तो नगर पालिका परिषद् द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी था।

6—निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पालिका परिषद् को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जाएगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होंगी—

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होंगी:—

क्र०सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
1	1000 तक	500/—
2	1001—2000 तक	1,000/—
3	2001—3000 तक	1,500/—
4	3000 से अधिक	2,500/—

6—निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना

(ख) नियम-3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी—

क्र० सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
1	रु० 5 लाख तक	1,000 /—
2	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	2,000 /—
3	रु० 10 लाख से रु० 15 लाख तक	3,000 /—
4	रु० 15 लाख से रु० 50 लाख तक	5,000 /—
5	रु० 50 लाख से ऊपर	10,000 /—

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा-92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड क के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रलोक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हो और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम—(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जाएगा।

7— आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण

जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

8— अपील

अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

प्रपत्र-1

(नियम-4 (1ख) देखें)

भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना- प्रपत्र

1. भवन स्वामी/अध्यासी का नाम —
2. भवन संख्या/आई०डी० सहित भवन की अवस्थिति —
3. भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य —
4. सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं० —
5. पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल —
6. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल —
7. नव-निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि —
8. अध्यासन की तिथि —
9. अन्य विवरण- यदि कोई हो।

स्थान-

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

दिनांक-

पता-

मोबाइल नं०-

प्रपत्र-2

(नियम-4(2) देखें)

निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पितृ नाम और पता-
2. सम्पत्ति का विवरण-

(1) विक्रय और दान आदि के मामलों में-

(क) सम्पत्ति संख्या/आई०डी० और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता

(ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति- बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में—

- (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम
- (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य
- (घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित), पितृ नाम तथा पता जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है।
- (ङ) आवेदक का मृतक से सम्बन्ध
- (च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश
- (छ) उत्तराधिकार का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)
- (ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में—

- (क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम
- (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य
- (घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण
- (ङ) भ्रान्त कथन, त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य
- (च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी—उप क्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण—

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण—

(1) (2) (3) (4)

प्रपत्र-3

(नियम- 4 (2घ) देखें)

नोटिस

श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती निवासी .
..... का नाम नगर पालिका परिषद दादरी
(गौतमबुद्धनगर) की कर निर्धारण सूची में अंकित है।

2. (1) श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती
..... निवासी द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है
कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती
की मृत्यु दिनांक को हो गई है वह/वे उनके विधिक उत्तराधिकारी हैं और साक्ष्य रूप में
..... प्रस्तुत किया गया है।

(2) उनके द्वारा अपना नाम प्रविष्ट कर निर्धारण सूची को संशोधित/परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

3. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उपरोक्त के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वह/वे अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में साक्ष्यों सहित इस नोटिस के प्रकाशित/प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर नगर पालिका परिषद् दादरी (गौतमबुद्धनगर) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती हैं। उक्त तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक/आवेदकों का नाम सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

सम्पत्ति का विवरण—

सम्पत्ति आई०डी०	सम्पत्ति संख्या	अवस्थिति
जारी करने की तिथि मुहर		हस्ताक्षर जारी करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम सहित

शालिनी गुप्ता,
अधिकांशी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद् दादरी,
जनपद—गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत जोया, जनपद अमरोहा

19 अगस्त, 2025 ई0

सं० 182/न०५० जोया /2025—उ० प्र० में नगर पालिका अधिनियम—1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जोया, जनपद अमरोहा की सीमान्तर्गत विज्ञापन पर कर लगाने हेतु “विज्ञापन शुल्क उपविधि—2025” बनायी गयी है। उपविधि को लागू करने हेतु सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है तत्क्रम में नगर पंचायत जोया द्वारा बोर्ड की बैठक दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 को प्रस्ताव संख्या—03 सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, जिसका प्रकाशन दैनिक शाह टाईम्स एवं दैनिक विधान केसरी समाचार-पत्र दिनांक 04 फरवरी 2025 के अंक में प्रकाशित कराकर 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये, निर्धारित समयावधि के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, बोर्ड की बैठक दिनांक 18 मार्च 2025 को प्रस्ताव संख्या—04 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप से सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है, निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विज्ञापन कर नियमावली 2025

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ— (1) यह नियमावली नगर पंचायत जोया अमरोहा विज्ञापन का निर्धारण एवं वसूली नियमावली 2025 कहलाएगी।

(2) यह नगर पंचायत जोया अमरोहा के क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ—जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(एक) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1916 से है,

(दो) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत जोया अमरोहा के अधिशासी अधिकारी से है।

(तीन) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत जोया, अमरोहा से है।

(चार) कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में निदिष्ट विज्ञापनों पर कर से है।

(पाँच) विज्ञापन का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन कर से है।

(छः) प्रीमियम का तात्पर्य किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राज मार्ग/राज्य राज मार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्बों या ट्रीगार्ड चाहर दीवारी या भवन का उपयोग विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के संप्रदर्शित या परिनिर्मित या प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देने के लिये नियत की गई धनराशि से है जिसमें विज्ञापन कर की धनराशि शामिल नहीं है।

(सात) विज्ञापनकर्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन को विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुमति प्रदान की गई हो और ऐसे व्यक्ति में उक्त अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(आठ) विज्ञापन प्रतीक का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयोज्य हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या कृत खम्भे, स्क्रीन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

1— नगर पंचायत जोया जनपद अमरोहा में निहित/स्वामित्वाधीन/प्रवन्धाधीन भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़को या निजी स्थल पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए—

प्रवर श्रेणी क्षेत्र	:	रु० 1000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(अ) श्रेणी क्षेत्र	:	रु० 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(ब) श्रेणी क्षेत्र	:	रु० 500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(स) श्रेणी क्षेत्र	:	रु० 400 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलैक्ट्रानिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद-1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

3. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन	:	रु० 2500 प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	:	रु० 10000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सडक प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर

(एक) तीन पहिया वाहन :	रु0 25.00 पैसे प्रतिदिन
(दो) चार पहिया वाहन :	रु0 250.00 पैसे प्रतिदिन
(तीन) छः पहिया वाहन :	रु0 500.00 पैसे प्रतिदिन

(4) विद्युत तथा अन्य खम्बो पर विज्ञापन पट—

प्रवर श्रेणी क्षेत्र :	रु0 1500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(अ) श्रेणी क्षेत्र :	रु0 1000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(ब) श्रेणी क्षेत्र :	रु0 750 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(स) श्रेणी क्षेत्र :	रु0 500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5. पोस्टर :	रु0 150 प्रति सैकड़ा एक बार
6. परचा :	रु0 300 प्रति हजार एक बार
7. पताका (बैनर) :	रु0 50 प्रति बैनर एक बार
8. विद्युत या इलैक्ट्रानिक युक्ति/परिवर्तनशील संदेश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्ह—	
प्रवर श्रेणी क्षेत्र :	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(अ) श्रेणी क्षेत्र :	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(ब) श्रेणी क्षेत्र :	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
(स) श्रेणी क्षेत्र :	रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
9. गुब्बारे :	रु0 250 प्रतिदिन
10. छतरी :	रु0 250 प्रतिदिन
11. एक स्तम्भ :	ऊपर मद के अनुसार

किन्तु (1) यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है तो उक्त विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

(2) यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अनाधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आंगणित होगा किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा।

3. समिति का गठन अध्यक्ष नगर पंचायत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसने निम्नलिखित होंगे—

(एक) अध्यक्ष नगर पंचायत	अध्यक्ष
(दो) अधिशासी अधिकारी	सचिव
(तीन) कर निर्धारण अधिकारी या कर अधीक्षक	सदस्य
(चार) यातायात पुलिस विभाग का अधिकारी	सदस्य
(पाँच) अध्यक्ष द्वारा नामित तीन निर्वाचित सदस्य	सदस्य

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:-

(क) प्रत्येक वर्ष माह मार्च में या आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष के दौरान विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करना।

(ख) विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ (प्रतिषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर) क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण करना-

(एक) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(दो) अ श्रेणी क्षेत्र

(तीन) ग श्रेणी क्षेत्र

(चार) स श्रेणी क्षेत्र

4. प्रतिषेध (1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भवन, गुल,मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राभीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार को सूचना या चित्र, जिसे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा।

(2) नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

⑤ **प्रीमियम** (1) अधिशासी अधिकारी सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रीमियम धनराशि सार्वजनिक नीलामी या निविदा द्वारा नगर पंचायत जोया की स्वीकृति से नियत करेंगे।

(2) उपनियम (1) की प्रक्रिया में विफल होने पर प्रीमियम धनराशि नगर पंचायत द्वारा नियत की जायेगी।

6. अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट चिह्नित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे नियत शुल्क भुगतान करके नगर पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आवेदन पत्र के साथ कर और देय प्रीमियम की पूर्ण धनराशि जमा की जायेगी।

7. अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें (1) किसी विज्ञापन वा विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि-

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्धृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 02 मीटर, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे। प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दें जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को लगने से हटा देगा।

(ट) विज्ञापनकर्ता अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों और इस नियमावली का अनुपालन करेगा।

(ठ) विज्ञापनो से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।

(ड) भवन से संबंधित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष लगाने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब की जांच प्रति तीन माह के अन्तराल पर की जायेगी।

(ण) विज्ञापनो को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाढ़ा बांधा नहीं जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा।

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्धन, अधिशासी अधिकारी के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर, किया जाता है।

(ग) यदि (विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके उपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है।

(ड) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित नियत या अवरुद्ध हों, भंजित या नष्ट हो जाती है।

8. आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है:—

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विचरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का. या नगर पंचायत के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्ट कर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि अधिशासी अधिकारी की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशान्ति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विन्सी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना गाम्भीय हो और ऐसी भूमि या भवन के शंका में धारा 120 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदरत हो।

9. विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति—यदि कोई निज्ञामन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या साथ. सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशानिक हो तो अधिशासी अधिकारी विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है या मिटा सकता है और निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है:—

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था. लिखा गया था. चित्रित किया गया था या लटकाया गया था. के लिए क्षतियों की धनराशि।

10. छूट—इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापनों पट्टों पर लागू नहीं होगी—

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी वा अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 02 मीटर • 02 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से सम्बन्धित हो, परन्तु यह 1.2×1.2 मीटर से अधिक न हो।

11. छतों के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्वन्धन (1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमत्य है।

(2) किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।

12. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा— नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

13. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति— अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई नगर पंचायत अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, पाप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा था तद्दीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायको या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुगरा नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

14. कर भुगतान की रीति—कर एकल किस्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

15. शस्ति—उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त नियमों का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रसर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, जोया,
अमरोहा।

कार्यालय, नगर पंचायत, अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात

15 जुलाई, 2025 ई0

सं0 488 /एन०पी०ए०/उपनियम/2025-26-नगर पंचायत, अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत अकबरपुर जनपद कानपुर देहात की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर्स, बैनर एवं होर्डिंग्स विनियमन एवं नियन्त्रण उपविधि नियमावली 2025 की धारा-301 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं0 69/एन०पी०ए० (उपनियम)/2025-26 दिनांक 26/04/2025 के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र दैनिक आज एवं स्वतंत्र चेतना के दिनांक 29 अप्रैल, 2025 के अंक में प्रकाशन कराकर उपविधि के सम्बन्ध में 21 दिवस के अन्दर दावा आपित्त/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु सूचना प्रकाशित करायी गयी। निर्धारित समयाविधि के अन्तर्गत कोई दावा/आपत्ति प्राप्त न होने के कारण प्रकाशित कराये गये उपरोक्त उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया जाता है।

अतः नगर पंचायत अकबरपुर के उपरोक्त विज्ञापन, पोस्टर्स एवं होर्डिंग विनियमन एवं नियन्त्रण उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि के पश्चात तत्काल लागू माना जायेगा।

पोस्टर्स, विज्ञापन एवं होर्डिंग विनियमन उपविधि 2025**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—**

1. यह उपविधि नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात विज्ञापन पोस्टर्स एवं होर्डिंग विनियमन एवं नियन्त्रण उपविधि वर्ष 2025 कहलायेगी।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात क्षेत्र में होगा।

3. यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से पूर्ववत् मानी जायेगी।

2. परिभाषा—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो इस उपविधि में—

1. अधिनियम का तात्पर्य—नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य—नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात के अधिशासी अधिकारी से है।

3. बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात के बोर्ड से है।

4. अध्यक्ष का तात्पर्य: नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात के अध्यक्ष से है।

5. प्रशासक का तात्पर्य: नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात के प्रशासक से है।

6. प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य: नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात के प्रभारी अधिकारी से है।

7. नगर पालिका से तात्पर्य: नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात से है।

8. नगर पालिका सीमा से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमा व भविष्य में बढ़ने वाली सीमा से है।

9. विज्ञापित, विज्ञापन, होर्डिंग जैसे समरूप व पर्यायवाची शब्दों से तात्पर्य: समाचार पन्नों से भिन्न विज्ञापनों से है। जो बांस, बल्ली, लोहे के गार्डर व स्ट्रैक्चर बनवाकर दिवार, खम्भों या पेड़ पर विज्ञापन पट्टिका लगाकर चिपकाकर, लटकाकर प्रदर्शित किये जाते हैं।

10. नगर पंचायत के द्वारा विज्ञापन हेतु निर्मित कराये गये पोल पर विज्ञापन की दरें प्रकाशित कराना है।

11. भवन से तात्पर्य: घर, दुकान या छप्पर अथवा अन्य छत्तेदार निर्माण से है। ये किसी भी विधि से बनाई गई हो तथा इसके प्रत्येक भाग जिसमें बाहरी दीवारों घरो या भवन के किसी भाग से है जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

12. शुल्क के तात्पर्य: अधिनियम की चारा 298, 1 के अधीन लगाये गये नये शुल्क से है।

3. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की सीमा के भीतर किसी स्थान पर भवन अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख उक्त नियमावली में किया गया है, प्रदर्शित करके जनता का ध्यान

आकर्षित करने के लिये बिना अधिशासी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्ति के, नहीं लगायेगा और न ही लगवाने का अधिकारी है।

4. अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें:

क प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

ख विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी कि लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

ग विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

घ विज्ञापनो से अवस्थापना का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये, किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषेध होगा।

ङ भवन के सम्बन्धित विज्ञापन पट्टी से ऐसे भवनो तथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनो और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

च विज्ञापनकर्ता को निर्धारित नियमावली का पालन करना होगा।

5—नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात की सीमा के भीतर किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र लिखित स्थान, घर के दो स्पष्ट मानचित्रों में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या बनाये जाने वाली तस्वीर की प्रतिमा विज्ञापन का कार्य तथा जिसमें समय के लिये आज्ञा मांगी गई हो इस उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्राप्त करानी चाहिये जो उसने तथा स्थान उपयुक्तता को देखते हुये आदिता, उत्तजनात्मकता तथा दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्तिजनक चरित्र की जांच करने के पश्चात लिखित जांच पड़ताल करके स्वीकृत आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति के कारण अंकित की जायेंगे।

6—निकाय की सीमाओं के भीतर किसी भूमि भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधियोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा और प्रदर्शित करेगा।

7—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा स्वीकृत आज्ञा को जनहित में रद्द कर दे या काट दे या रोक दे ऐसी दशा में शुल्क का यथोचित भाग उसके द्वारा वापस लिया जायेगा।

8—नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के खर्चे को हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगर पालिका अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल करने की कार्यवाही करें। जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़वाया जाये तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को सूचना देकर ऐसे विज्ञापन को नीलाम कर सकेंगे।

9—उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार देय नहीं होगा।

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संस्थानों के कार्यों हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करवाये या लगवाये जाये।

(ख) ऐसे साईन बोर्ड जो सम्बन्धित मकान व दुकान के नाम की सूचना देता हो।

(ग) शासकीय विज्ञापन।

10—दर, शुल्क इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा।

विज्ञापन शुल्क सूची

क्र० सं०	विवरण	विज्ञापन आकार	वार्षिक दर	मासिक दर	दैनिक दर
		वर्गफिट में	रुपये में	रुपये में	रुपये में
1	2	3	4	5	6
1	साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/होर्डिंग ग्लो साइन बोर्ड को कहा जायेगा जो अन्दर की ओर से विद्युत प्रकाशित हो या इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस के माध्यम से प्रकाशित हो, दुकानों/प्रतिष्ठानों पर लगे साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड पर उपनियमावली लागू नहीं होगी।	6 x 3 3 x 2 3 x 1/2 1 x 1/2	5,000.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00	5,00.00 2,50.00 1,50.00 1,00.00	20.00 15.00 7.00 5.00
2	वाल पेंटिंग	तदैव	1,000.00	2,00.00	10.00
3	ट्री गार्ड	1 x 1/2	800.00	70.00	5.00
4	पम्पलेट	A/4	—	—	0.20
5	बैनर/ होर्डिंग	1 x 1	500.00	50.00	2.00
6	रेलिंग पर नगर पंचायत की जो प्रस्तावित है	1 x 1	500.00	50.00	5.00
7	चौराहा अथवा तिराहा पर लगाये गये विज्ञापनों पर 4 प्रतिषत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।				
8	गाड़ियों साइकिल पर लटकते हुये विज्ञापनों पर 4 प्रतिषत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।				
विवरण			दर		
क	टेंट लगाकर किये गये विज्ञापन		100.00 प्रतिदिन		
ख	जीप, कार, सभी प्रकार की बसें, टेम्पो आदि पर प्रतिदिन शुल्क		50.00 प्रतिदिन		
ग	साइकिल एवं रिकशा पर शुल्क		20.00 प्रतिदिन		
घ	साइकिल एवं रिकशा पर शुल्क		20.00 प्रतिदिन		
ङ	नगर पंचायत अकबरपुर की एल०ई०डी० में विज्ञापन का शुल्क		1,000.00 प्रति माह/प्रति एल०ई०डी०		
च	नगर पंचायत क्षेत्र में स्वयं की एल०ई०डी० स्थापित कराने का शुल्क		5,000.00 प्रति माह/प्रति एल०ई०डी०		

नोट

साइन बोर्ड का आकार 10 x 3 मीटर से बड़ा नहीं होगा। पलैक्स की चौड़ाई व लम्बाई 15 x 5 मीटर से अधिक नहीं होगी। तथा सड़कों के धरातल से पांच मीटर की उंचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

11—यदि नगर पंचायत यह आभास कराती है कि प्रदर्शित विज्ञापन उपनियमावली के विरुद्ध है तो नगर पालिका उसे हटा देगी।

12—दुकानों के आगे पट्टिका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर उपनियमावली लागू नहीं होगी।

13—किसी प्रकार के विज्ञापन जो नगर पंचायत शुल्क जमा कर लगवाने की अनुमति व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों ने प्राप्त कर ली हो, ऐसा विज्ञापन नहीं लगवाया जा सकता जिसमें व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। दूसरे व्यक्तियों के प्रति गडना उत्पन्न करती हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर ऐसे कोई उद्बोधन करती हो, जो विवाद उत्पन्न कर सकता है।

14—नगर पंचायत के सीमा अन्तर्गत लगाये गये ट्री गार्ड/नगरीय षासकीय सम्पत्ति/रेलिंग पर विज्ञापन लगाने से पूर्व यह सिद्ध करना होगा कि सद्भाव पूर्ण आचरण एवं नैतिकता पूर्ण है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों से लगाया जा रहा है उपरोक्त के सम्बन्ध में संख्या निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक, नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात में निहित होगा।

15—अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक, नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात में यह अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित उपनियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता है।

16—विज्ञापन की अनुज्ञा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विज्ञापन की पूरी धनराशि के अतिरिक्त वार्षिक विज्ञापन के 10 प्रतिशत की धनराशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। बकाया धनराशि की वसूली नगर पालिका अधिनियम की धारा 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

17—नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात सीमा अन्तर्गत विज्ञापनदाता व्यक्तियों/कम्पनियों तथा नगर पालिका के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक, नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

18—नगर पंचायत/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति देय न होगी।

19—ग्लो साइन बोर्ड/पेड़ों/विद्युत पोलों/ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। विचारक पट्ट प्रत्येक खम्भे पर दो आगे/पीछे से अधिक नहीं लगाये जायेंगे। दो बैनरों के बीच की दूरी 50 सेमी0 अनिवार्य होगी रोड पर बैनर लगाना प्रतिबन्धित है एवं बैनर का साइज 15 मी0 से अधिक नहीं होगा।

20—उपरोक्त षर्तों में परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात में होगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 यू०पी० एक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 299, 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद—कानपुर देहात निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी धारा का उल्लंघन पाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा जो एक हजार रुपये दण्ड के रूप में वसूला जायेगा।

यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी निरन्तर अपराध करता रहा है ऐसे प्रत्येक दिन के लिये रुपया एक सौ प्रतिदिन कि दर से अतिरिक्त दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

दीपाली सिंह
अध्यक्ष
नगर पंचायत, अकबरपुर
कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पंकज कुमार अवस्थी पुत्र सुरेश चन्द्र अवस्थी, निवासी-सी-2951 राजाजीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0 में दीवा अवस्थी (DIVA AWASTHI) का पिता एवं संरक्षक हूँ, मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड सं0-6432 1245 6580 में सान्या अवस्थी अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है, पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम दीवा अवस्थी (DIVA AWASTHI) पुत्री पंकज कुमार अवस्थी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

पंकज कुमार अवस्थी,
निवासी-सी-2951 राजाजीपुरम,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम Muhammad Bilal पुत्र Shafahat Ulla शफाहत उल्ला है जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3391 8325 2875 में उसका नाम Mhomad Bilal अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम मुहम्मद बिलाल Muhammad Bilal पुत्र Shafahat Ulla शफाहत उल्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शफाहत उल्ला,
निवासी-53 ए, फेथफुलगंज बैराग
मस्जिद के पास
फेथफुलगंज कानपुर कैन्ट,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नवीन साहू पुत्र मनोज कुमार साहू है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे

पुत्र के आधार कार्ड सं0-9073 4664 7542 में उसका नाम यश साहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नवीन साहू पुत्र मनोज कुमार साहू के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनोज कुमार साहू
पुत्र स्व0 राम सजीवन साहू
417/1387 निवाजगंज, कंधी टोला, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम तनुष्का श्रीवास्तव (TANUSHKA SRIVASTAV) पुत्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-2118 0336 6433 में उसका नाम राधा रानी अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम तनुष्का श्रीवास्तव (TANUSHKA SRIVASTAV) पुत्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

वन्दना श्रीवास्तव,
पत्नी राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
पता-5A/6/159-5-4, कल्पनाथ विहार कालोनी,
बेनीपुर, सारनाथ वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मीनाक्षी दीक्षित है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम विभा दीक्षित अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मीनाक्षी दीक्षित,
नि0-486/272 क, लाहौरगंज,
डालीगंज, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जय देवी पुत्री संजय शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6416 0253 9128 में उसका नाम जया शर्मा अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जय देवी पुत्री संजय शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

संजय शर्मा,
निवासी-ग्राम बेलसड़ी पो0 खपरहॉ,
जिला जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लवली पुत्री सुनील कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5995 5419 1851 में उसका नाम लबली अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लवली पुत्री सुनील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनील कुमार पुत्र गोपाल यादव,
153, भटौलिया तेन्दू राबर्ट्सगंज,
जिला सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम रन विजय सिंह (RAN VIJAY

SINGH) है जो उनके आधार कार्ड में अंकित है त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के प्रमाण पत्र सह अंकपत्र (अनुक्रमांक 5027106) वर्ष 2017 में मेरे पिता का नाम राजन सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिलीप सिंह पुत्र श्री रन विजय सिंह
(RAN VIJAY SINGH)
निवासी-कुम्हौना सिकन्दरा, प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पावनी पाठक पुत्री रोहित कुमार पाठक है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8306 0767 7079 में उसका नाम नितारा पाठक अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पावनी पाठक पुत्री रोहित कुमार पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रोहित कुमार पाठक पुत्र रमेश कुमार पाठक
निवासी-5/19/81 देवकली, फैजाबाद
डोकाली, अयोध्या (उ0प्र0)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांश त्रिवेदी पुत्र दिनेश कुमार त्रिवेदी है जो कि उसके आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख एवं बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 234866951, 229529822 में उसका नाम राधव त्रिवेदी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश त्रिवेदी पुत्र दिनेश कुमार त्रिवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिनेश कुमार त्रिवेदी पुत्र जगदीश प्रसाद,
नि० टिपतिया, असालतगंज, कानपुर देहात

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम टार्जन सरोज पुत्र राम मूरत सरोज है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 5221 2572 5798 में मेरा नाम अमन अंकित हो गया है जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम टार्जन सरोज पुत्र राम मूरत सरोज के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

टार्जन सरोज पुत्र राम मूरत सरोज,
निवासी—निगदिलपुर अटरामपुर उर्फ
नवाबगंज, इलाहाबाद, उ०प्र०

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व में नाम गोड़िया (Godiya) था। सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स अथारिटी के पोर्टल पर भावी दत्तक माता के पंजियन सं०—PrUP 21122119972 के अनुसार मेरी पुत्री का नाम बदलकर मैंने गोड़िया से समृद्धि वर्मा (Samriddhi Verma) पुत्री नम्रता वर्मा कर लिया है जोकि मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—3730 0986 6249 में गोड़िया अंकित है। जो उसके पूर्व का नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम समृद्धि वर्मा (Samriddhi Verma) पुत्री नम्रता वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नम्रता वर्मा पुत्री रामसागर वर्मा,
निवासिनी फ्लैट नं०—ए—1, 1507
ऋषिता मेनहट्टन, सेक्टर—7
गोमती नगर विस्तार, लखनऊ (उ०प्र०)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंशदीप यादव पुत्र अजीत कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 2541 4536 1806 में उसका नाम अंजनी यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंशदीप यादव पुत्र अजीत कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अजीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव
निवासी—ग्राम—इब्राहिमपुर
पोस्ट—कबीरउद्दीनपुर, मुबारकपुर, कोयलसा
आजमगढ़ (उ०प्र०)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सौभाग्य शुक्ल पुत्र राजीव शुक्ल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3197 9362 8320 में उसका नाम हर्ष शुक्ल अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सौभाग्य शुक्ल पुत्र राजीव शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजीव शुक्ल पुत्र रामचन्द्र शुक्ल
नि० ग्राम शेखपुर पो० गजरिया
थाना—पट्टी तह० पट्टी
जिला—प्रतापगढ़, (उ०प्र०)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तसनिया हसीन (TASNIYA HASEEN) पुत्री हसीन अहमद (HASEEN AHMAD) जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2255 7512 1359 में मेरा नाम तसमिया हसीन (TASHMIYA HASEEN) पुत्री हसीन अहमद (HASEEN AHMAD) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तसनिया हसीन (TASNIYA HASEEN) पुत्री हसीन अहमद (HASEEN AHMAD) के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

तसनिया हसीन,
पता—38/27, भुसौली टोला,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व पाण्डेय पुत्र अतुल कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3099 5408 1021 में उसका नाम जीत पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व पाण्डेय पुत्र अतुल कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अतुल कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० राम अभिलाष पाण्डेय
निवासी—ग्राम नौदिया सरैया, पोस्ट—नेवदिया
तहसील—लालगंज, जनपद—प्रयागराज, (उ०प्र०)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विपेन्द्र सिंह पुत्र रोहित कुमार सिंह है। जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 6526 1270 8407 में मेरा नाम आर्यन सिंह चौहान अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विपेन्द्र सिंह पुत्र रोहित कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विपेन्द्र सिंह पुत्र रोहित कुमार सिंह
निवासी—ग्राम रनागढ़ी, पोस्ट कोरारी खुर्द
उन्नाव (उ०प्र०)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही व शुद्ध नाम त्रयम्बक नाथ (Triyambak Nath) पुत्र रामचन्द्र है। जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 6206 1234 8294 में मेरा नाम त्रयम्बक नाथ (Trayambak Nath) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम त्रयम्बक नाथ (Triyambak Nath) के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

त्रयम्बक नाथ पुत्र स्व० राम चन्द्र
पता—ग्राम रामपुर पो० गोहरी
तहसील सोरांव,
जिला—प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभय प्रताप कन्नौजिया पुत्र रवि प्रकाश है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 5470 2388 1352 में उसका नाम गणेश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभय प्रताप कन्नौजिया पुत्र रवि प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रवि प्रकाश
साकिन-मड़या उर्फ अचकवापुर
थाना-खलीलाबाद
जिला-संतकबीर नगर
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सरिता देवी पुत्री मिश्री लाल है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6004 4077 6920 में मेरा नाम अनामिका देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सरिता देवी पुत्री मिश्री लाल पत्नी गजेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सरिता देवी पत्नी गजेन्द्र सिंह
निवासी-54, अंदमऊ, अंडमऊ
जयरामपुर फतेहपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रीत यादव (Reet Yadav) पुत्री सुरेन्द्र यादव है जो मेरी पुत्री के शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है।

त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3369 1657 7301 में उसका नाम लकी कुमारी यादव (Lucky Kumari Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रीत यादव (Reet Yadav) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुरेन्द्र यादव पुत्र शिव लाल यादव
ग्राम-पिरल्लीपुर, पोस्ट-चुनार
जिला-मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राघवेन्द्र पुत्र विश्राम है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2011 8169 1352 में उसका नाम रन्नो देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राघवेन्द्र पुत्र विश्राम के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विश्राम पुत्र बेचूलाल
निवासी-बरुवा पश्चिम शरीरा
कौशाम्बी, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रेय पटेल पुत्र भानु प्रताप सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2489 8108 2827 में उसका नाम निखिल सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रेय पटेल पुत्र भानु प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

भानु प्रताप सिंह
ग्राम व पोस्ट भागलपुर
जिला देवरिया, उ०प्र०

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रोली मौर्या पुत्री उमेश कुमार है जो उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-7180 7620 9700 में उसका नाम पौली कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रोली मौर्या पुत्री उमेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

उमेश कुमार
ग्राम व पोस्ट-खुखुंदू
तहसील-सलेमपुर
जनपद-देवरिया

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एम/एस बी० सी० वाणी इंफ्राटेक, बिसौली गेट, चन्दौसी, जिला सम्भल (उत्तर प्रदेश) की साझेदारी फर्म में डीड दिनांक 17.05.2017 के अनुसार श्री शशांक अग्रवाल एवं एम/एस बी० सी० इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि० साझेदार थे।

डीड दिनांक 03.11.2025 को साझेदारी विलेख के अनुसार श्री अंकित अग्रवाल, श्रीमती वाणी प्रिया रस्तोगी एवं श्री अमन खान नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुये तथा एम/एस बी० सी० इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि० फर्म से अलग हो गई।

डीड दिनांक 05.11.2025 के अनुसार एम/एस बी० सी० इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि० अपने प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार के माध्यम से दोबारा इस फर्म में सम्मिलित हुई।

वर्तमान में इस फर्म में श्री शशांक अग्रवाल, श्री अंकित अग्रवाल, श्रीमती वाणी प्रिया रस्तोगी एवं श्री अमन खान एवं एम/एस बी० सी० इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि० (प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार) साझेदार के रूप में हैं।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्री शशांक अग्रवाल
एम/एस बी० सी० वाणी इंफ्राटेक
पता- बिसौली गेट, चन्दौसी, (उ० प्र०)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजकुमार पुत्र धीरा है। मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3605 9437 6417 में मेरा नाम चकधारी अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राजकुमार पुत्र धीरा के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजकुमार पुत्र धीरा
निवासी-ग्राम बरजी (बर्जी)
पोस्ट-नयेपुर, चौमुहानी
जिला-वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० अंजू पटेल पुत्री सुरेन्द्र प्रताप है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4287 2229 4392 में मेरा नाम अंजू अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० अंजू पटेल पुत्री सुरेन्द्र प्रताप पत्नी सालिक राम मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु0 अंजू पटेल पुत्री सुरेन्द्र प्रताप
निवासिनी-17 ए/12एफ/13 ओम नगर,
शिव दुर्गा मंदिर
राजापुर, जनपद प्रयागराज, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कीर्ति पाण्डेय पुत्री पंकज पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3923 5612 0324 में उसका नाम प्रीती पाण्डेय हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कीर्ति पाण्डेय पुत्री पंकज पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पंकज पाण्डेय
ग्राम-छेछरिहां खुर्द, पोस्ट रगौली,
थाना-कर्वी, जनपद-चित्रकूट, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वर्तिका पाल पुत्री रमेश कुमार पाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7994 5301 2264 में उसका नाम Baby of Kusum Pal अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वर्तिका पाल पुत्री रमेश कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रमेश कुमार पाल
पुत्र गिरधारी लाल पाल
पता-मकान नं0 270 तेन्दुई,
सरायइनायत, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रितिका चौधरी पुत्री लाल चन्द्र है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9677 6446 7895 में उसका नाम हतिका चौधरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रितिका चौधरी पुत्री लाल चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लाल चन्द्र
निवासी-भडेहरी, पोस्ट सिराथू,
भरेहरी, कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक सिंह पुत्र ध्यानेन्द्र सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 6024 4964 0527 में उसका नाम पृथ्वीराज सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक सिंह पुत्र ध्यानेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ध्यानेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
निवासी-सकलडीहा, स्टेशन
अमावल, सकलडीहा,
चन्दौली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गौरांग शुक्ल (GAURANG SHUKLA) पुत्र विनोद कुमार शुक्ल है जोकि उसके

शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8587 4779 4670 में उसका नाम गौरान्क शुक्ला (GAURANK SHUKLA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गौरांग शुक्ल (GAURANG SHUKLA) पुत्र विनोद कुमार शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विनोद कुमार शुक्ल
पुत्र गिरीश चन्द्र शुक्ल
निवासी—जिन्दासपुर, उन्नाव, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्पित पाल (ARPIT PAL) पुत्र महेन्द्र कुमार पाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 9254 1170 2039 में उसका नाम प्रतीक पाल (PRATIK PAL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्पित पाल (ARPIT PAL) पुत्र महेन्द्र कुमार पाल के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

महेन्द्र कुमार पाल
पुत्र बेनी प्रसाद पाल
निवासी—27/3बी/1एफ भुलई का पुरा
पो0—तेलियरगंज, प्रयागराज, उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम सरिता देवी है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा मेरी हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र में (अनुक्रमांक—23746014) में मेरी माता का नाम सुनीता अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संचिता वर्मा, पुत्री शिवबहादुर,
पता—ग्राम काशीपुर मोहन
पोस्ट—परसीपुर, तहसील—कुण्डा
जिला—प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंशिका शुक्ला पुत्री राजीव शुक्ला है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 458283486160 में मेरा नाम जिया शुक्ला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंशिका शुक्ला पुत्री राजीव शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंशिका शुक्ला
पुत्री राजीव शुक्ला,
निवासी—केशवपुर, सरपतहां,
ज्ञानपुर, भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आयुषी तिवारी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार है जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4212 4553 7406 में शौम्या तिवारी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आयुषी तिवारी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आयुषी तिवारी
पता—मकान नं0 5/38
सेक्टर एच, जानकीपुरम
जनपद लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अशर्फी देवी पत्नी स्व० राम राज है जो मेरे आधार कार्ड, पासबुक, राशनकार्ड तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति के सेवा अभिलेख नम्बर 20097320200573 में मेरा नाम अशर्फीया देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरा सही नाम अशर्फी देवी पत्नी स्व० राम राज के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अशर्फी देवी पत्नी स्व० राम राज
निवासी—ग्राम अमिलिया कला
पो० अमिलिया कला तहसील मेजा
जनपद—प्रयागराज

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम राधा पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—7712 3370 5750 में उसका नाम अनुराधा पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम राधा पुत्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय
पता—कांजी का पुरवा मजरे कमालपुर
थाना—व तहसील उंचाहार
जनपद—रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नगमा NAGMA पुत्री श्री अब्दुल अजीज

ABDUL AZIZ है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5216 9931 9575 में मेरा नाम अफसाना AFSANA अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नगमा NAGMA पुत्री श्री अब्दुल अजीज ABDUL AZIZ के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नगमा NAGMA

पुत्री श्री अब्दुल अजीज ABDUL AZIZ

व पत्नी मोहम्मद मुश्ताक

निवासिनी ग्राम चक सईद उद्दीन उर्फ पूरे मती
पोस्ट किरांव मउआइमा, प्रयागराज, उ०प्र०

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० आर० पी० बिल्डर्स, श्री राधा मां धाम वृन्दावन, छटीकरा रोड, वृन्दावन, जिला—मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं—

यह है कि दिनांक 01.04.2013 को श्रीमती पुष्पा रानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल निवासी—बडवाला मौहल्ला वृन्दावन, मथुरा को उक्त फर्म में भागीदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है तथा दिनांक 02.08.2013 को फर्म के द्वितीय भागीदार श्री रामकिशन अग्रवाल पुत्र श्री जी० डी० अग्रवाल निवासी—कच्ची सड़क, मथुरा तथा तृतीय भागीदार श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री गोविन्द राम जी निवासी गली मेघा, मथुरा उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। दिनांक 29.07.2025 को श्री आशीष बंसल पुत्र श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल निवासी गली 54 जगन्नाथपुरी, मथुरा को उक्त फर्म में भागीदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल श्रीमती पुष्पा रानी तथा श्री आशीष बंसल भागीदार हैं।

प्रदीप कुमार अग्रवाल

भागीदार

मे० आर० पी० बिल्डर्स,

श्री राधा मां धाम वृन्दावन,

छटीकरा रोड, वृन्दावन, जिला—मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 कान्हा डवलपर्स, के0ई0-3 कर्मयोगी नगर, फेस-1, पार्ट ए टैकमैन सिटी एन0एच0-2, जिला मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह है कि दिनांक 31.10.2025 से उक्त फर्म के साझेदार श्री विनोद सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह, निवासी—हनुमान नगर, धौली प्याऊ, मथुरा हाल निवासी—नगला कैंचुला मगोरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, श्री पूरन सिंह पुत्र श्री भीम सिंह निवासी—तत्त्वदर्शी वाटिका नवादा तहसील व जिला मथुरा, श्री मथुरा प्रसाद पुत्र श्री दशरथ निवासी—हनुमान नगर धौली प्याऊ, जिला—मथुरा श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी—उपरोक्त श्रीमती राजवती पत्नी श्री सतीशचंद निवासी—ग्राम अमीरपुर पोस्ट बल्देव तहसील महावन, जिला मथुरा द्वारा उक्त फर्म से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया है, तथा उक्त दिनांक को ही श्री ओशिव शर्मा पुत्र श्री जीतेन्द्र कुमार निवासी बी-149 मोतीकुंज एक्सटेंशन धौली प्याऊ, मथुरा को फर्म में नये साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब फर्म में श्री नरेन्द्र सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह पचहरा, श्री वीरेन्द्र सिंह तथा श्री ओशिव शर्मा साझेदार है।

नरेन्द्र सिंह

साझेदार

मे0 कान्हा डवलपर्स, के0ई0-3

कर्मयोगी नगर, फेस-1,

पार्ट ए टैकमैन सिटी एन0एच0-2,

जिला मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म क्लासन फार्मा, सराय इनायत, अन्दावां, प्रयागराज के भागीदार मुलायम सिंह यादव तथा चन्दन बर्नवाल दिनांक 11.11.2025 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये अलग हो गये हैं। अब फर्म में भागीदारों की कुल संख्या तीन रह गई है। भागीदारी का अनुपात क्रमश वर्तमान में विनोद कुमार प्रजापति का 34 प्रतिशत, अनिल कुमार प्रजापति का 33 प्रतिशत एवं गंगाधर सत्यप्रकाश कापसे का 33 प्रतिशत होगा। फर्म से

अलग हुये भागीदार मुलायम सिंह यादव तथा चन्दन बर्नवाल का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन शेष नहीं है।

विनोद कुमार प्रजापति
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 भवानी इंजीनियर्स 88/151/5 शिलाखाना तेलियरगंज, प्रयागराज के पंजीकृत पते में परिवर्तन कर पूर्व पता 88/151/5 शिलाखाना तेलियरगंज, प्रयागराज से आज दिनांक 12.09.2025 को परिवर्तित कर नया पता चतुर्थ तल (फ्लैट नं0 413) ब्लॉक-बी विनायक सेन्ट्रल पार्क, शेरवानी लिजेसी हरवारा, जिला—प्रयागराज उ0प्र0 211011 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त फर्म की भागीदारी श्रीमती कंचन मिश्रा पत्नी मतिराज प्रसाद मिश्रा दिनांक 12.09.2025 को उक्त फर्म से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भागीदारी समाप्त करते हुये अलग हो गई है तथा श्रीमती दिब्या पुत्री श्री महेन्द्र कुमार उपाध्याय दिनांक 12.09.2025 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हो गई है। अब फर्म में श्री अरविन्द्र कुमार मिश्र, श्रीमती दिब्या कुल दो भागीदार है वर्तमान में दोनों भागीदारों की भागीदारी का अनुपात पूर्ववत् रहेगा। फर्म से अलग हुई भागीदार श्रीमती कंचन मिश्रा का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

अरविन्द्र कुमार मिश्र,
भागीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवा स्टील इण्डस्ट्रीज, सी-12, साईट-सी, सूरजपुर इण्डस्ट्रीज एरिया, ग्रेटर नोएडा, जिला—गौतमबुद्धनगर की साझेदारी दिनांक 01.04.2016 के अनुसार श्री संजय कुमार, श्रीमती आभा कपूर एवं श्री ऋषभ कपूर है। फर्म की संशोधित साझेदारीनामा दिनांक 04.10.2025 के अनुसार फर्म का पंजीकृत पता— सी-12, साईट-सी, सूरजपुर इण्डस्ट्रीज एरिया, ग्रेटर नोएडा, जिला—

गौतमबुद्धनगर से परिवर्तित कर “प्लॉट नं0-290, ग्राम सूरजपुर, गुरुद्वारा रोड, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201306” कर दिया गया है तथा फर्म के साझेदार श्री संजय कपूर, श्रीमती आभा कपूर एवं श्री ऋषभ कपूर का निवास स्थान का पता 34, वेस्टा एसोटेक सेलेस्ट टावर, सेक्टर-44, नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर-201301 हो गया है। उपरोक्त पता परिवर्तन सभी साझेदारों की सहमति से किया गया है। एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजय कपूर

साझेदार

मेसर्स शिवा स्टील इण्डस्ट्रीज,
परिवर्तित पता- “प्लॉट नं0-290,
ग्राम सूरजपुर, गुरुद्वारा रोड,
सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर-201306

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आर/ओ0 जौरा मन रखन, कसया, जनपद कुशीनगर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 06.08.2020 से श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा एवं श्रीमती सुनीता सिंह जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली सं0 G/KUS/0007828 पर

पंजीकृत है। यह की साझेदारी डीड दिनांक 11.01.2025 से श्री अनूप कुमार मिश्रा जी उक्त फर्म में तृतीया साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा व श्रीमती सुनीता सिंह एवं श्री अनूप कुमार मिश्रा जी हैं। उक्त फर्म में किसी का भी लेन-देन बकाया नहीं है।

अयोध्या प्रसाद मिश्रा

साझेदार

मेसर्स माँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आर/ओ0,
जौरा मन रखन, कसया,
जनपद कुशीनगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं राम किशुन पुत्र केवल प्रसाद, निवासी ग्राम मरदानपुर पो0 मनौरी तहसील सदर जनपद प्रयागराज, अवगत कराता हूँ कि मेरी पुत्री का सही नाम सोनाली कौशल पुत्री राम किशुन है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 4742 9074 1832 में उसका नाम सोमाली कौशल अंकित है जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सोनाली कौशल पुत्री राम किशुन के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राम किशुन।